तदर्थ बोनस, विशेष वेतन, दैनिक वेतन भोगी की दरें

विषय सूची

क्र0 सं0	विषय	शासनादेश सं0 तथा दिनांक	पृष्ठ संख्या
1	राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं व स्थानीय निकायों के कर्मचारियों तथा कैजुअल/दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को वर्ष 2001–2002 के लिए 30 दिन के तदर्थ बोनस का भुगतान	सं0–600/वि0अनु0–3/2002, देहरादून, दिनांक–31 अक्टूबर, 2002	361–366
2	विशेष वेतन, मूल वेतन तथा अन्य परिस्थितियों के योग की अधिकतम सीमा के निर्धारण विषयक	सं0–939/वि0अनु0–3/2003, देहरादून, दिनांक–30 जून, 2003	367–368
3	विशेष वेतन की अधिकतम सीमा विषयक शासनादेश में संशोधन	सं0 952/वि0 अनु0–3/2003, देहरादून, दिनांक–05 जुलाई, 2003	369–370
4	तदर्थ बोनस–राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं व स्थानीय निकायों के कर्मचारियों तथा कैजुअल/दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को वर्ष 2002–2003 के लिए 30 दिन के तदर्थ बोनस का भुगतान	सं0 1056/वि0अनु0–3/2003, देहरादून, दिनांक–20 अक्टूबर, 2003	371–374
5	दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की बढ़ी हुई दरें	सं0 1110/वि0अनु0–3/2003, देहरादून, दिनांक–22 दिसम्बर, 2003	375–376
6	तदर्थ बोनस–राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं व स्थानीय निकायों के कर्मचारियों तथा कैजुअल/दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को वर्ष 2003–2004 के लिए 30 दिन के तदर्थ बोनस का भुगतान	सं0 1409/XXVII(3)बोनस/2004, देहरादून, दिनांक–02 नवम्बर, 2004	377–380
7	तदर्थ बोनस–राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं व स्थानीय निकायों के कर्मचारियों तथा कैजुअल/दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को वर्ष 2004–2005 के लिए 30 दिन के तदर्थ बोनस का भुगतान	सं0 02/XXVII(7)बोनस/2005, देहरादून, दिनांक–22 अक्टूबर, 2005	381–384
8	राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं व स्थानीय निकायों के कर्मचारियों तथा कैजुअल/दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को वर्ष 2004–2005 के लिए तदर्थ बोनस विषयक शासनादेश संख्या 02/XXVII(7) बोनस/2005, दिनांक–22 अक्टूबर, 2005 के प्रस्तर–1 में संशोधन.	सं0–23/XXVII(7) बोनस/2005, देहरादून, दिनांक–28 अक्टूबर, 2005	385–386

9	राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं व स्थानीय निकायों के कर्मचारियों तथा कैजुअल/दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को वर्ष 2004–2005 के लिए तदर्थ बोनस विषयक शासनादेश संख्या 02/XXVII(7) बोनस/2005, दिनांक–22 अक्टूबर, 2005 का स्पष्टीकरण	सं0–99/XXVII(7) बोनस/2006, देहरादून, दिनांक–10 जनवरी, 2006	387–388
10	दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की बढ़ी हुई दरें	सं0 37/XXVII(7)/2006, देहरादून, दिनांक–06 मई, 2006	389–390
11	वर्ष 2005–2006 के लिये राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं, स्थानीय निकायों को उत्पादकता असंबद्ध तदर्थ बोनस	सं0 229/XXVII(7)बोनस/2006, देहरादून, दिनांक–16 अक्टूबर, 2006	391–394
12	सचिवालय में नियुक्त अधिकारियों को विशेष वेतन में वृद्धि	सं0 268/XXVII(7)/2006, देहरादून, दिनांक–24 नवम्बर, 2006	395–396
13	वर्ष 2006–2007 के लिये राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं, स्थानीय निकायों को उत्पादकता असंबद्ध तदर्थ बोनस	सं0 324/XXVII(7) बोनस/2007, देहरादून, दिनांक–15 अक्टूबर, 2007	397–400
14	तदर्थ बोनस–राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं व स्थानीय निकायों के कर्मचारियों तथा कैजुअल/दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को वर्ष 2007–2008 के लिए 30 दिन के तदर्थ बोनस का भुगतान	सं0 299/XXVII(7)बोनस/2008, देहरादून, दिनांक–22 सितम्बर, 2008	401–404
15	प्रान्तीय रक्षक दल/विकास दल के स्वयं सेवकों के पारिश्रमिक दरों में वृद्धि के संबंध में	सं0 243/VI-I/2008–09(यु0क0)/2002, देहरादून, दिनांक 30 सितम्बर, 2008	405–406
16	तदर्थ बोनस–राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं व स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को वर्ष 2006–07, वर्ष 2007–2008 के लिए 30 दिन के तदर्थ बोनस की अधिकतम धनराशि रुपये 2500.00 के स्थान पर रु0 3500.00 संशोधित किये जाने के संबंध में	सं0 422/XXVII(7)बोनस/2008, देहरादून, दिनांक–27 नवम्बर, 2008	407–408
17	सचिवालय में नियुक्त अधिकारियों को विशेष वेतन में वृद्धि	सं0 43/XXVII(7)/2009 देहरादून, दिनांक–13 फरवरी, 2009	409–410

संख्या– 600 / वि0अनु0–3 / 2002

प्रेषक,

इन्दु कुमार पान्डे
प्रमुख सचिव, वित्त
उत्तरांचल शासन।

सेवा में

समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तरांचल ।

वित्त अनुभाग–3 देहरादूनः दिनांक 31 अक्टूबर 2002

विषयः–तदर्थ बोनसः– राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं व स्थानीय निकायों के कर्मचारियों तथा कैजुअल / दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को वर्ष 2001–2002 के लिए 30 दिन के तदर्थ बोनस का भुगतान ।

पठित निम्नलिखितः–

1– शासनदेश संख्या–145 / वि0 अनु0–3 / (कैम्प) / 2001, दिनांक 8 नवम्बर, 2001
2– भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, कार्यालय ज्ञापन संख्या–14 (1) ई / संस्था समन्वय–1 / 2002 दिनांक 07, अक्टूबर 2002

महोदय,

उत्पादकता के जुड़ी किसी भी बोनस योजना के अन्तर्गत न आने वाले उपर्युक्त श्रेणी के कर्मचारियों के लिए बोनस की विस्तृत योजना के अभाव में उक्त शासनादेश दिनांक 8 नवम्बर, 2001 द्वारा राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं व स्थानीय निकायों के कर्मचारियों तथा कैजुअल / दैनिकभोगी कर्मचारियों की वर्ष 2000–2001 के लिए 30 दिन के तदर्थ बोनस भुगतान के आदेश जारी किये गये थे।

2– भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को उपर्युक्त क्रम संख्या–2 पर उल्लिखित कार्यालय ज्ञापन दिनाक 7 अक्टूबर, 2002 द्वारा वर्ष 2001–2002 के लिए 30 दिन की परिलब्धियों के बराबर तदर्थ बोनस की स्वीकृति के आदेश जारी किये गये है।

3– उपर्युक्त क्रम संख्या–1 पर उल्लिखित शासनदेश दिनांक 8 नवम्बर, 2001 के क्रम में राज्यपाल महोदय इस प्रदेश के समस्त पूर्णकालिक अराजपत्रित राज्य कर्मचारियों तथा राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षाण संस्थाओं, स्थानीय निकायों और जिला पंचायतों के ऐसे कर्मचारियों जिनके वेतनमान का अधिकतम रु0 10500/– तक है को वर्ष 2001–2002 के लिए तदर्थ बोनस के रुप में 30 दिन की परिलब्धियों की स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते है। इस प्रयोजन के लिए एक माह में औसत

C:\My Documents\U.K. Pandey\bonus.doc

दिनों के संख्या 30.4 के आधार पर दिनांक 31 मार्च 2002 को ग्राह्य परिलब्धियों के अनुसार 30 दिन की परिलब्धियाँ आगणित की जायेगी। तदर्थ बोनस का भुगतान निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा।:–

(1) तदर्थ बोनस की उक्त सुविधा केवल उन अराजपत्रित कर्मचारियों, जिनके पुनरीक्षित वेतनमान का अधिकतम रु. 10500/– तक हैं, को ही अनुमन्य होगा। वेतनमान रु0 6500–10500 तक के पद पर कार्यरत ऐसे अराजपत्रित कर्मचारियों को जिन्हें 1–1–1996 को उनके पूर्ववर्ती वैयक्तिक प्रोन्नति/ अगला वेतनमान का सामान्य पुनरीक्षित वेतनमान वैयक्तिक रूप से अनुमन्य हुआ है और उनकी प्रास्थिति (स्टेटस) में परिवर्तन नहीं हुआ है, को भी तदर्थ बोनस अनुमन्य होगा। ऐसे कर्मचारी जिन्होंने दिनांक 1–1–1996 से लागू पुनरीक्षित वेतनमानो के बाजाय पूर्ववर्ती वेतनमान में बने रहने के लिए विकल्प दिया हो, के सम्बन्ध मे पद के वेतनमान का अधिकतम रु 3500 तक माना जायेगा। परन्तु रु0 6500–10500 (पूर्ववर्ती रु0 2000–3500) या इससे कम वेतन मान के राजपत्रित अधिकारियों को तदर्थ बोनस अनुमन्य नहीं होगा।

(2) उक्त सुविधा केवल उन कर्मचारियों को अनुमन्य होगी जो दिनांक 31 मार्च 2002 को सेवा में थे और जिन्होंने दिनांक 31 मार्च 2002 को एक वर्ष की निरन्तर सेवा पूरी कर ली थी।

(3) तदर्थ बोनस की अधिकतम व्यय धनराशि रु0 2500/– प्रतिमाह की परिलब्धियाँ पाने वाले कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य राशि तक सीमित रहेगी अर्थात जिन कर्मचारियों की परिलब्धियाँ रु0 2500/– से अधिक थी उनके लिए तदर्थ बोनस का आगणन इस प्रकार किया जायेगा मानो उनकी परिलब्धियाँ रु0 2500 प्रतिमाह है।

(4) उपर्युक्त प्रयोजन हेतु परिलब्धियों का तात्पर्य मूल वेतन, वैयक्तिक वेतन, विशेष वेतन जैसा कि क्रमशः मूल नियम 9(21)(1), 9(23)तथा 9(25) में परिभाषित है, प्रतिनियुक्ति भत्ता और महंगाई भत्ते से होगा। परन्तु ऐसे कर्मचारी जिन्होंने दिनांक 1–1–1996 से लागू पुनरीक्षित वेतनमानो के बजाय पूर्ववर्ती वेतनमान में ही बने रहने के लिए विकल्प दिया हो, अथवा जिन कर्मचारियों का दिनांक 1–1–1996 से वेतनमान पुनरीक्षण नहीं हुआ है, के लिए शासनादेश संख्या– वे–आ–1–2043/दस–93–39 (एम) / 93, दिनांक 14 अक्टूबर 19993 तक तथा शासनादेश संख्या– वे–आ–1–624/ दस–39(एम)/93 टी0सी0, दिनांक 16 अगस्त 1995 के अनुसार अंतरिम सहायता क्रमशः

रु0 100/– प्रतिमाह की प्रथम किश्त तथा मूल वेतन का 10 प्रतिशत परन्तु कम से कम रु0 100/– प्रतिमाह की द्वितीय किश्त की धनराशि भी परिलब्धियों में जोड़ी जायेगी।

(5) मकान किराया भत्ता, नगर प्रतिकर भत्ता, पर्वतीय विकास भत्ता, परिशोजना भत्ता, विशेष भत्ता, शिक्षा भत्ता आदि को परिलब्धियों में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। शासनादेश संख्या– वे–आ–1–774/दस–39 (एम) 93 टी0सी0 दिनांक 27 सितम्बर 1996 द्वारा स्वीकृत "अंतरिम सहायता" की धनराशि को भी परिलब्धियों में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(6) रु0 2500 प्रतिमाह की परिलब्धियों पर दिनांक 31 मार्च 2002 को ग्राह्य परिलब्धियों के अनुसार 30 दिन की परिलब्धियाँ तदर्थ बोनस के रुप में रु0 2467/– होगी (रु0 2500X30/30.4=2467.10)।

(7) ऐसे कर्मचारी जिनके विरुद्ध वर्ष 2001–02 में अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की गई हो, जिनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही पूरे होने के बाद वर्ष 2001–02 में कोई दण्ड दिया गया हो, उन्हें तदर्थ बोनस देय नहीं होगा।

(8) इन आदेशों द्वारा स्वीकृत तदर्थ बोनस के आगणित धनराशि को निकटतम एक रुपयें में पूर्णांकित किया जायेगा अर्थात 50 पैसे या उससे अधिक को एक रुपया मानकर और उससे कम को शामिल न करते हुए पूर्णांकित किया जायेगा।

4– कैजुअल /दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को जिन्होंने दिनांक 31 मार्च, 2002 को तीन वर्ष अथवा उससे अधिक समय तक लगातार कार्य किया हो और प्रत्येक वर्ष कम से कम 240 दिन कार्यरत रहे हों, को भी यह सुविधा अनुमन्य होगी। ऐसे पूर्णकालिक कर्मचारियों को भी जिन्होंने दिनांक 31 मार्च, 2002 तक एक वर्ष निरन्तर सेवा पूरी नहीं की है परन्तु उक्त तिथी तक कैजुअल /दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में (दोनों अवधियों को सम्मिलित करते हुए) तीन वर्ष या उससे अधिक समय तक लगातार कार्य किया हो और प्रत्येक वर्ष 240 दिन कार्यरत रहे हों, यह सुविधा अनुमन्य होगी। ऐसे मामले में सम्बन्धित कर्मचारी के लिए मासिक परिलब्धियाँ रु0 1200 प्रतिमाह मानी जायेगी और इस प्रकार तदर्थ बोनस की देय धनराशि रु0 1200X30/30.4 = 1184.21 अर्थात 1184/– (पूर्णांकित) होगी। परन्तु ऐसे कर्मचारी जिनकी वास्तविक परिलब्धियाँ रु0 1200 प्रतिमाह से कम हैं उन्हें तदर्थ बोनस की धनराशि उनकी वास्तविक मासिक परिलब्धियों के आधार पर आंकलित की जायेगी।

5— सभी श्रेणी के कर्मचारियों, जिन्हें उक्त सुविधा अनुमन्य है, को तदर्थ बोनस की अनुमन्य धनराशि का 50 प्रतिशत भाग सम्बन्धित कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में जमा किया जायेगा। शेष 50 प्रतिशत का नकद भुगतान दो बराबर किश्तों में माह नवम्बर, 2002 तथा माह दिसम्बर 2002 में किया जायेगा। यदि कोई कर्मचारी भविष्य निधि खाते का सदस्य नहीं है तो उसे उक्त धनराशि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट(एन0एस0सी0) के रुप में दी जायेगी। जो कर्मचारी अधिवर्षता की आयु पर दिनांक 31 मार्च, 2002 के बाद सेवानिवृत्त हो चुके हैं अथवा दिनांक 31 मार्च, 2003 तक सेवानिवृत्त होने वाले हों, उनको अनुमन्य तदर्थ बोनस की सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान नकद किया जायेगा। तदर्थ बोनस की धनराशि के आहरण की प्रक्रिया इस शासनादेश के संलग्नक के अनुसार होगी।

6— बोनस के भुगतान से सम्बन्धित शासनादेश संख्या—वेवआ0—1—120/दस—1(एम)/84, दिनांक 18 जनवरी, 1984 के प्रस्तर—1 (7), 5 तथा 6 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्ध इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत तदर्थ बोनस के विषय में भी यथावत लागू रहेंगी।

7— उक्त स्वीकृत तदर्थ बोनस को आय—व्ययक के उसी लेखाशीर्षक के नामे डाला जायेगा जिससे सम्बन्धित कर्मचारियों के वेतन व्यय को वहन किया जाता है तथा उसे मानक मद "वेतन" के अन्तर्गत पुस्तांकित किया जायेगा।

संलग्नक—यथोपरि

भवदीय,

इन्दु कुमार पान्डे
प्रमुख सचिव, वित्त

संख्या—600/वि0अनु0—3/2002 तद्दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—.

1— महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल 5—ए थार्नहिल रोड सत्यनिष्ठा भवन, इलाहाबाद।

2— समस्त प्रमुख सचिव/सचिव , उत्तरांचल शासन।

3— समस्त मुख्य /वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तरांचल ।

4— वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (वेतन अनुसंधान एकक) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) कमरा नं. 261, नार्थ ब्लाक नई दिल्ली 110001।

C:\My Documents\I.K. Pande\Bonus.doc

5— सचिव, राज्यपाल महोदय, देहरादून।

6— सचिव, विधान सभा, उत्तरांचल, देहरादून।

7— निबन्धक, उच्च न्यायालय, नैनीताल।

8— रिजनल प्राविडेन्ट फण्ड कमीश्नर, कानपुर/ देहरादून ।

9— सयुक्त निदेशक, कोषागार सिविल कार्यालय, नवीन कोषागार भवन (प्रथम तल) कचहरी रोड, इलाहाबाद तथा अन्य वेतन पर्ची प्रकोष्ठ। इरला चैक।

10— निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएँ, उत्तरांचल देहरादून।

11— स्थानीय आयुक्त उत्तरांचल, नई दिल्ली।

12— पुनर्गठन आयुक्त, उत्तरांचल, विकास भवन, सचिवालय परिसर लखनऊ उ0प्र0।

13— वित्त अधिकारी, उत्तरांचल सचिवालय, देहरादून।

14— उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की वे कृपया इस शासनादेश की 500 प्रतियाँ मुद्रित कर वित्त विभाग को प्रेषित करना चाहें

15— गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(के0सी0मिश्र)

अपर सचिव।

C:\My Documents\L.K. Pande\Runa...doc

संख्या: 939 वि0अनु03/:

प्रेषक,

इन्दु कुमार पाण्डे,
प्रमुख सचिव, वित्त।

सेवामें,

समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तरांचल।

वित्त अनुभाग-3 देहरादून: दिनांक: 20 जून, 2003

विषय:- विशेष वेतन मूल वेतन तथा अन्य परिलब्धियों के योग की अधिकतम सीमा के निर्धारण विषयक।

महोदय,

वेतन समिति, उत्तर प्रदेश 1987 के प्रतिवेदन, खण्ड-1 के अध्याय-8 के प्रस्तर-1 में कीगई संस्तुतियों पर शासन के निर्णय के अनुसार वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1 के संकल्प संख्या-वे0आ0-1-2246/दस-59(एम)-1988 दिनांक 14 अगस्त, 1988 के परिपेक्ष्य में, वित्त विभाग द्वारा निर्गत कार्यालय ज्ञाप संख्या-जी-1-993/दस-219/89 दिनांक 15 जुलाई, 1989 का अवलोकन करें। उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 15 जुलाई, 1989 के अनुसार वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-2 भाग-2-4 के मूल नियम -9(25) के अधीन वित्त विभाग की सहमति से विभिन्न दरों पर दिनांक 31 दिसम्बर, 1987 तक स्वीकृत विशेष वेतन को दिनांक 01 जनवरी, 1987 से पुनरीक्षित किया गया था।

2. समता समिति की संस्तुतियों के सम्बन्ध में वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1 के संकल्प संख्या-वे0आ0-1-1739/दस-89-41(एम)89, दिनांक 19 मई, 1989 के प्रस्तर-1(11) के अनुसार किसी भी अधिकारी की कुल (वेतन+ विशेष वेतन+ विशेष भत्ता+ वैयक्तिक वेतन + प्रैक्टिस बन्दी भत्ता) मिलाकर रू0 7000/-प्रतिमाह तथा उक्त संकल्प के प्रस्तर-3 के अनुसार सचिवालय मे विशेष सचिव के पद पर किसी भी अधिकारी के मूल वेतन तथा विशेष वेतन को मिलाकर रू0 6150/-प्रतिमाह की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई थी।

3. इस सम्बन्ध मे उत्तर प्रदेश शासन के वित्त (सामान्य) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या--जी-1-404/दस-2001-219/89 दिनांक 14 जून, 2001 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 15 जुलाई, 1989 द्वारा अनुमन्य कराई गई विशेष वेतन की दरों को यथावत रखाते हुए पुनरीक्षित वेतन (दिनांक 1.1.1986 से पुनरीक्षित) मे विशेष सचिव को अनुमन्य विशेष वेतन एंव मूल वेतन के योग की अधिकतम सीमा को पुनरीक्षित वेतनमान की अधिकतम सीमा बढाने तथा सभी अधिकारियों के लिए किसी भी दशा में मूल वेतन, विशेष वेतन,

विशेष भत्ता, वैयक्तिक वेतन तथा प्रैक्टिस बन्दी भत्ता के योग की अधिकतम सीमा प्रतिमाह निर्धारित करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है ।

4. शासनादेश संख्या-जी-1-993/दस-21/89 दिनांक, 15 जुलाई, 1989 को केवल इस सीमा तक संशोधित समझा जाय तथा उपर्युक्त निर्धारित सीमा दिनांक 1 जनवरी, 1996 से ही लागू रहेगी ।

भवदीय

इन्दु कुमार पाण्डे
प्रमुख सचिव, वित्त ।

संख्याः 9390(1)/वि. अनु. 3/2003, तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, मोजरा, सहारनपुर रोड देहरादून ।
2. समस्त जिलाधिकारी उत्तरांचल ।
3. समस्त कोषाधिकारी, उत्तरांचल ।
4. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन ।
5. सचिव श्री राज्यपाल महोदय, उत्तरांचल ।
6. निदेशक कोषागार एवं वित्त सेवायें, 23 लक्ष्मीरोड, देहरादून ।
7. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से

(के0 सी0 मिश्र)
अपर सचिव, वित्त ।

संख्या:- 952/वि0अनु03 2003

प्रेषक,

के0 सी0 मिश्र,
अपर सचिव, वित्त ।

सेवामें,

समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तरांचल ।

वित्त अनुभाग-3 देहरादून: दिनांक: 05 जुलाई, 2003

विषय:- विशेष वेतन की अधिकतम सीमा विषयक शासनादेश मे संशोधन ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 939/वि0अनु03/2003 दिनांक 30 जून, 2003 के तृतीय प्रस्तर की पंचम पंक्ति में विशेष सचिव का पदनाम उल्लिखित है जबकि उत्तरांचल शासन में उक्त पद का पदनाम परिवर्तित करके अपर सचिव रखा गया है अत: उपरिउल्लिखित शासनादेश की उक्त पंक्ति मे " विशेष सचिव" के पदनाम को उत्तरांचल राज्य के परिपेक्ष्य में " अपर सचिव " पढ़ा जाय ।

उपरिउल्लिखित शासनादेश केवल इस सीमा तक ही संशोधित समझा जाय तथा इसके शेष सभी प्राविधान यथावत रहेंगें ।

भवदीय

(के0 सी0 मिश्र)
अपर सचिव, वित्त ।

संख्या: (1) वि0अनु03/2003 तददिनांक ।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा सहारनपुर रोड, देहरादून ।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल ।
3. समस्त कोषाधिकारी, उत्तरांचल ।
4. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल ।
5. निदेशक कोषागार एवं वित्त सेवायें, 23 लक्ष्मीरोड, देहरादून ।
6. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से

(रमेश चन्द्र शर्मा)
अनु सचिव, वित्त

संख्या–1056/विअनु–3/2003

प्रेषक,

इन्दु कुमार पाण्डे,
प्रमुख सचिव,वित्त,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तरांचल।

वित्त अनुभाग–3 देहरादून::दिनांक २० अक्टूबर, 2003

विषयः– **तदर्थ बोनसः– राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं व स्थानीय निकायों के कर्मचारियों तथा कैजुअल/दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को वर्ष 2002–2003 के लिए 30 दिन के तदर्थ बोनस का भुगतान।**

पठित निम्नलिखितः–

1– शासनादेश संख्या–600/वि0अनु0–3/2002,दिनांक 31 अक्टूबर,2002
2–भारत सरकार,वित्त मंत्रालय,व्यय विभाग कार्यालय ज्ञाप संख्या–14(6)ई/संस्था समन्वय–1/2003,दिनांक 29 सितम्बर,2003

महोदय,

उत्पादकता से जुड़ी किसी भी बोनस योजना के अर्न्तगत न आने वाले उपर्युक्त श्रेणी के कर्मचारियों के लिए बोनस की विस्तृत योजना के अभाव में उक्त शासनादेश दिनांक 31 अक्टूबर,2002 द्वारा राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं व स्थानीय निकायों के कर्मचारियों तथा कैजुअल तथा दैनिकभोगी कर्मचारियों की वर्ष 2001–2002 के लिए 30 दिन के तदर्थ बोनस भुगतान के आदेश जारी किये गये थे।

2– भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को उपर्युक्त क्रम संख्या–2 पर उल्लिखित कार्यालय ज्ञाप दिनांक 29 सितम्बर,2003 द्वारा वर्ष 2002–2003 के लिए 30 दिन की परिलब्धियों के बराबर तदर्थ बोनस की स्वीकृति के आदेश जारी किये गये है।

3– उपर्युक्त क्रम संख्या–1 पर उल्लिखित शासनादेश दिनांक 31 अक्टूबर,2002 के क्रम में राज्यपाल महोदय इस प्रदेश के समस्त पूर्णकालिक अराजपत्रित राज्य

कर्मचारियों तथा राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं,स्थानीय निकायों और जिला पंचायतों के ऐसे कर्मचारियों जिनके वेतनमान का अधिकतम रु 10,500 तक है को वर्ष 2002–2003 के लिए तदर्थ बोनस के रुप में 30 दिन की परिलब्धियों की स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते है। इस प्रयोजन के लिए एक माह में औसत दिनों के संख्या 30.4 के आधार पर दिनांक 31 मार्च,2003 को ग्राह्य परिलब्धियों के अनुसार 30 दिन की परिलब्धियॉ आगणित की जायेगी। तदर्थ बोनस का भुगतान निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा:–

(1) तदर्थ बोनस की उक्त सुविधा केवल उन अराजपत्रित कर्मचारियों,जिनके पुनरीक्षित वेतनमान का अधिकतम रु 10,500/– तक है, को ही अनुमन्य होगा। वेतनमान रु 6500–10,500 तक के पद पर कार्यरत ऐसे अराजपत्रित कर्मचारियों को जिन्हें 01–01–1996 को उनके पूर्ववर्ती वैयक्तिक प्रोन्नति/अगला वेतनमान का सामान्य पुनरीक्षित वेतनमान वैयक्तिक रुप से अनुमन्य हो चुका है और उनकी प्रास्थिति (स्टेटस) में परिवर्तन नहीं हुआ है, को भी तदर्थ बोनस अनुमन्य होगा। ऐसे कर्मचारी जिन्होने दिनांक 01–01–1996 से लागू पुनरीक्षित वेतनमानों के बजाय पूर्ववर्ती वेतनमान में बने रहने के लिए विकल्प दिये हो,के सम्बन्ध में पद के वेतनमान का अधिकतम रु 3500/– तक माना जायेगा। परन्तु रु 6500–10,500 (पूर्ववर्ती रु 2000–3500) या इससे कम वेतनमान के राजपत्रित अधिकारियों को तदर्थ बोनस अनुमन्य नहीं होगा।

(2) उक्त सुविधा केवल उन कर्मचारियों को अनुमन्य होगी जो दिनांक 31 मार्च 2003 को सेवा में थे और जिन्होने दिनांक 31 मार्च 2003 को एक वर्ष की निरन्तर सेवा पूरी कर ली थी।

(3) तदर्थ बोनस की अधिकतम व्यय धनराशि रु 2500/– प्रतिमाह की परिलब्धियॉ पाने वाले कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य राशि तक सीमित रहेगी अर्थात जिन कर्मचारियों की परिलब्धियॉ रु 2500/– से अधिक थी उनके लिए तदर्थ बोनस का आगणन इस प्रकार किया जायेगा मानो उनकी परिलब्धियॉ रु 2500/– प्रतिमाह है।

(4) उपर्युक्त प्रयोजन हेतु परिलब्धियों का तात्पर्य मूल वेतन,वैयक्तिक वेतन,विशेष वेतन जैसा कि क्रमशः मूल नियम 9(21)(1),9(23) तथा 9(25) में परिभाषित है, प्रतिनियुक्ति भत्ता और महंगाई भत्ते से होगा। परन्तु ऐसे कर्मचारी जिन्होने दिनांक 01–01–1996 से लागू पुनरीक्षित वेतनमानों के बजाय पूर्ववर्ती वेतनमान में ही बने रहने के लिए विकल्प दिया हो, अथवा जिन कर्मचारियों का दिनांक 01–01–1996 से वेतनमान पुनरीक्षण नहीं हुआ है,के लिए शासनादेश संख्या–वे–आ–1–2043/दस–93–39(एम)/93,दिनांक 14 अक्टूबर,1993 तक तथा शासनादेश संख्या–वे–आ–1–624/दरा–39(एम)/93 टी0सी0,दिनांक 16 अगस्त,1995 के अनुसार अंतरिम सहायता क्रमशः रु 100/– प्रतिमाह की प्रथम किश्त तथा मूल वेतन का 10 प्रतिशत परन्तु कम

से कम रु 100/– प्रतिमाह की द्वितीय किश्त की धनराशि भी परिलब्धियों में जोड़ी जायेगी।

(5) मकान किराया भत्ता,नगर प्रतिकर भत्ता,पर्वतीय विकास भत्ता, परियोजना भत्ता,विशेष भत्ता,शिक्षा भत्ता आदि को परिलब्धियों में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। शासनादेश संख्या–वे–आ–1–774/दस–39 (एम) /93टी0सी0,दिनांक 27 सितम्बर,1996 द्वारा स्वीकृत "अंतरिम सहायता" की धनराशि को भी परिलब्धियों में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(6) रु 2500/– प्रतिमाह की परिलब्धियों पर दिनांक 31 मार्च,2003 को ग्राह्य परिलब्धियों के अनुसार 30 दिन की परिलब्धियॉ तदर्थ बोनस के रुप में रु 2467/– होगी (रु 2500X 30/30.4=2467.10) ।

(7) ऐसे कर्मचारी जिनके विरुद्ध वर्ष 2002–2003 में अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की गई हो, जिनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही पूरे होने के बाद वर्ष 2002–2003 में कोई दण्ड दिया गया हो, उन्हें तदर्थ बोनस देय नहीं होगा।

(8) इन आदेशों द्वारा स्वीकृत तदर्थ बोनस के आगणित धनराशि को निकटतम एक रुपये में पूर्णांकित किया जायेगा अर्थात 50 पैसे या उससे अधिक को एक रुपया मानकर और उससे कम को शामिल न करते हुए पूर्णांकित किया जायेगा।

4– कैजुअल/ दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को जिन्होने दिनांक 31 मार्च,2003 को तीन वर्ष अथवा उससे अधिक समय तक लगातार कार्य किया हो और प्रत्येक वर्ष कम से कम 240 दिन कार्यरत रहे हो, को भी यह सुविधा अनुमन्य होगी। ऐसे पूर्णकालिक कर्मचारियों को भी जिन्होने दिनांक 31 मार्च,2003 तक एक वर्ष निरन्तर सेवा पूरी नहीं की है परन्तु उक्त तिथि तक कैजुअल/दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के रुप में (दोनों अवधियों को सम्मिलित करते हुए) तीन वर्ष या उससे अधिक समय तक लगातार कार्य किया हो और प्रत्येक वर्ष 240 दिन कार्यरत रहे हो, यह सुविधा अनुमन्य होगी। ऐसे मामले में सम्बन्धित कर्मचारी के लिए मासिक परिलब्धियों रु 1200 प्रतिमाह मानी जायेगी और इस प्रकार तदर्थ बोनस की देय धनराशि रु 1200X30/30.4=1184.21 अर्थात रु01184/– (पूर्णांकित) होगी। परन्तु ऐसे कर्मचारी जिनकी वास्तविक परिलब्धियॉ रु 1200 प्रतिमाह से कम है उन्हें तदर्थ बोनस की धनराशि उनकी वास्तविक मासिक परिलब्धियों के आधार पर आंकलित की जायेगी।

5– सभी श्रेणी के कर्मचारियों,जिन्हें उक्त सुविधा अनुमन्य है,को तदर्थ बोनस की अनुमन्य धनराशि का 50 प्रतिशत भाग सम्बन्धित कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में जमा किया जायेगा एवं शेष 50 प्रतिशत का नकद भुगतान किया जायेगा। यदि कोई कर्मचारी भविष्य निधि खाते का सदस्य नहीं है तो उसे उक्त धनराशि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (एन0एस0सी0) के रुप में दी जायेगी। जो कर्मचारी अधिवर्षता की आयु पर दिनांक 31 मार्च,2003 के बाद सेवानिवृत्त हो चुके है अथवा दिनांक 31 मई,2004 तक सेवानिवृत्त होने वाले हो ,उनके अनुमन्य तदर्थ बोनस की सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान नकद किया जायेगा।

6— बोनस के भुगतान से सम्बन्धित शासनादेश संख्या—वे.आ0—1—120/ दस—1(एम)/84,दिनांक 18 जनवरी,1984 के प्रस्तर—1(7),5 तथा 6 में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्ध इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत तदर्थ बोनस के विषय में भी यथावत लागू रहेगी।

(7)— उक्त स्वीकृत तदर्थ बोनस को आय—व्ययक के उसी लेखाशीर्षक के नामे डाला जायेगा जिससे सम्बन्धित कर्मचारियों के वेतन व्यय को वहन किया जाता है तथा उसे मानक मद "वेतन" के अर्न्तगत पुस्तांकित किया जायेगा।

भवदीय,

(इन्दु कुमार पाण्डे)
प्रमुख सचिव।

संख्या—1056 (1)/वि0अनु0—3/2003,तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तरांचल, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2— समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,उत्तरांचल शासन।
3— समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी,उत्तरांचल।
4— वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (वेतन अनुसंधान एकक) भारत सरकार ,वित्त मंत्रालय(व्यय विभाग) कमरा नं0 261,नार्थ ब्लाक नई दिल्ली—110001 ।
5— सचिव, राज्यपाल महोदय,देहरादून।
6— सचिव, विधान सभा, उत्तरांचल,देहरादून।
7— निबन्धक, उच्च न्यायालय, नैनीताल।
8— रिजनल प्राविडेन्ट फण्ड कमीश्नर, कानपुर/देहरादून।
9— संयुक्त निदेशक, कोषागार सिविल कार्यालय, नवीन कोषागार भवन (प्रथम तल) कचहरी रोड, इलाहाबाद तथा अन्य वेतन पर्ची प्रकोष्ठ इरला चेक।
10— निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं,उत्तरांचल, देहरादून।
11— स्थानीय आयुक्त, उत्तरांचल, नई दिल्ली।
12— पुनगर्ठन आयुक्त,उत्तरांचल,विकास भवन,सचिवालय परिसर लखनऊ,उ0प्र0।
13— वित्त अधिकारी, उत्तरांचल सचिवालय, देहरादून।
14— उपनिदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया इस शासनादेश की 200 प्रतियॉ मुद्रित कर वित्त विभाग को प्रेषित करना चाहें।
15— निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री उत्तरांचल।
16— गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(के0सी0मिश्रा)
अपर सचिव।

उत्तरांचल शासन
वित्त अनुभाग–3
संख्याः 1110/वि0अनु03/03
देहरादून, दिनांकः 22 दिसम्बर, 2003

कार्यालय ज्ञाप

दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की नियुक्ति के संबंध में कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या 20/1/91–2/91 दिनांक 17 जुलाई, 1991 के कम में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की मजदूरी की दर विषयक कार्यालय ज्ञाप संख्या जी–2–570/दस–97, दिनांक 19 जुलाई, 1997 के संदर्भ में अधोहस्ताक्षरी को कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय उत्तरांचल राज्य के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की वर्तमान पारिश्रमिक की दरों को वर्तमान महंगाई के परिपेक्ष्य में समूह 'घ' कर्मचारियों के लिए रू0 42.50 प्रतिदिन से बढ़ाकर रू0 57.00 प्रतिदिन तथा समूह 'ग' कर्मचारियों के लिये रू0 47.50 प्रतिदिन से बढ़ाकर रू0 64.00 प्रतिदिन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

उक्त बढ़ी हुई दरें इस कार्यालय ज्ञाप के निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होंगी। संशोधित दरें उन्हीं कर्मियों पर लागू होंगी, जिन्हें दैनिक वेतन पर दिनांक 17.7.91 से पूर्व से रखा गया है।

(इन्दु कुमार पाण्डे)
प्रमुख सचिव, वित्त

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तरांचल।

संख्याः 1110 /वि0अनु03/2003 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तरांचल, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, देहरादून।
2. सचिवालय के समस्त अनुभाग, उत्तरांचल शासन।
3. सचिव, राज्यपाल महोदय, उत्तरांचल शासन।
4. सचिव, विधान सभा, उत्तरांचल शासन।
5. गोपन अनुभाग।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(टी0एन0सिंह)
अपर सचिव, वित्त

संख्या–/4-0-9/XXVII(3)बोनस/2004

प्रेषक,

इन्दु कुमार पाण्डे
प्रमुख सचिव,वित्त,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तरांचल।

वित्त अनुभाग–3 देहरादून,दिनांक 2 नवम्बर,2004

विषयः तदर्थ बोनसः–राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधक शिक्षण संस्थाओं व स्थानीय निकायों के कर्मचारियों तथा कैजुअल/दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को वर्ष 2003–2004 के लिए 30 दिन के तदर्थ बोनस का भुगतान।

पठित निम्नलिखित :–

1– शासनादेश संख्या–1056/वि0अनु0–3/2003,दिनांक 20 अक्टूबर,2003।
2– भारत सरकार, वित्त मंत्रालय,व्यय विभाग,कार्यालय ज्ञाप संख्या–14(1)ई/संस्था समन्वय--1//2004,30 सितम्बर,2004।

महोदय,

उत्पादकता से जुड़ी किसी भी बोनस योजना के अंतर्गत न आने वाले उपर्युक्त श्रेणी के कर्मचारियों के लिए बोनस की विस्तृत योजना के अभाव में उक्त शासनादेश दिनांक 20 अक्टूबर,2003 द्वारा राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं व स्थानीय निकायों के कर्मचारियों तथा कैजुअल तथा दैनिकभोगी कर्मचारियों की वर्ष 2002–2003 के लिए 30 दिन के तदर्थ बोनस भुगतान के आदेश जारी किये गये थे।

2– भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को उपर्युक्त क्रम संख्या–2 पर उल्लिखित कार्यालय ज्ञाप दिनांक 30 सितम्बर,2004 द्वारा वर्ष 2003–2004 के लिए 30 दिन की परिलब्धियों के बराबर तदर्थ बोनस की स्वीकृति के आदेश जारी किये गये है।

3– उपर्युक्त कम संख्या–1 पर उल्लिखित शासनादेश दिनांक 20 अक्टूदर,2003 के क्रम में राज्यपाल महोदय इस प्रदेश के समस्त पूर्णकालिक अराजपत्रित राज्य कर्मचारियों तथा राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं,स्थानीय निकायों और जिला पंचायतों के ऐसे कर्मचारियों जिनके वेतनमान का अधिकतम रू0 10,500 तक है को वर्ष 2003–2004 के लिए तदर्थ बोनस के रूप में 30 दिन की परिलब्धियों की स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते है। इस प्रायोजन के लिए एक माह में औसत दिनों की संख्या 30•4 के आधार पर दिनांक 31 मार्च,2004 को ग्राह्य परिलब्धियों के अनुसार 30 दिन की परिलब्धियां आगणित की जायेगी। तदर्थ बोनस का भुगतान निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा:–

(1) तदर्थ बोनस की उक्त सुविधा केवल उन अराजपत्रित कर्मचारियों,जिनके पुनरीक्षित वेतनमान का अधिकतम रू0 10,500/–तक है,को हीं अनुमन्य होगा। वेतनमान रू0 6500–10500 तक के पद पर कार्यरत ऐसे अराजपत्रित कर्मचारियों को जिन्हें 01–01–1996 को उनके पूर्ववर्ती वैयक्तिक प्रोन्नति/अगला वेतनमान का सामान्य पुररीक्षित वेतनमान वैयक्तिक रूप से अनुमन्य हो चुका है और उनकी प्रास्थिति (स्टेटस) में परिवर्तन नहीं हुआ है,को भी तदर्थ बोनस अनुमन्य होगा।ऐसे कर्मचारी जिन्होनें दिनांक 01–01–1996 से लागू पुनरीक्षित वेतनमानों के बजाय पूर्ववर्ती वेतनमान मे बने रहने के लिए विकल्प दिये

हो,के संबंध में पद के वेतनमान का अधिकतम रू0 3500/–तक माना जायेगा। परन्तु रू0 6500–10500 (पूर्ववर्ती रू0 2000–3500) या इससे कम वेतनमान के राजपत्रित अधिकारियों को तदर्थ बोनस अनुमन्य नहीं होगा।

(2) उक्त सुविधा केवल उन कर्मचारियों को अनुमन्य होगी जो दिनांक 31 मार्च,2004 को सेवा में थे और जिन्होंने दिनांक 31 मार्च,2004 को एक वर्ष की निरन्तर सेवा पूरी कर ली थी।

(3) तदर्थ बोनस की अधिकतम व्यय धनराशि रू0 2500/– प्रतिमाह की परिलब्धियॉ पाने वाले कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य राशि तक सीमित रहेगी अर्थात जिन कर्मचारियों की परिलब्धियॉ रू0 2500/– से अधिक थी उनके लिए तदर्थ बोनस का आगणन इस प्रकार किया जायेगा मानो उनकी परिलब्धियॉ रू0 2500/– प्रतिमाह है।

(4) उपर्युक्त प्रयोजन हेतु परिलब्धियों का तात्पर्य मूल वेतन,वैयक्तिक वेतन,विशेष वेतन जैसा कि क्रमशः मूल नियम 9(21)(1),9(23) तथा 9(25) में परिभाषित है,प्रतिनियुक्ति भत्ता और महंगाई भत्ते से होगा। परन्तु ऐसे कर्मचारी जिन्होंने दिनांक 01–01–1996 से लागू पुनरीक्षित वेतनमानों के बजाय पूर्ववर्ती वेतनमान में ही बने रहने के लिए विकल्प दिया हो,अथवा जिन कर्मचारियों का दिनांक 01–01–1996 से वेतनमान पुनरीक्षण नहीं हुआ है,के लिए शासनादेश संख्या–वे–आ–1–2043/दस–93–39(एम)/93,दिनांक 14 अक्टूबर,1993 तक तथा शासनादेश संख्या–वे–आ–1–624/दरा–39(एम)/93 टी0सी0,दिनांक 16 अगस्त,1995 के अनुसार अंतरिम सहायता क्रमशः रू0 100/–प्रतिमाह की प्रथम किश्त तथा मूल वेतन का 10 प्रतिशत परन्तु कम से कम रू0 100/–प्रतिमाह की द्वितीय किश्त की धनराशि भी परिलब्धियों में जोड़ी जायेगी।

(5) मकान किराया भत्ता,नगर प्रतिकर भत्ता,पर्वतीय विकास भत्ता,परियोजना भत्ता,विशेष भत्ता,शिक्षा भत्ता आदि को परिलब्धियों में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। शासनादेश संख्या–वे–आ–1–774/दस–39(एम)/93 टी0सी0,दिनांक 27 सितम्बर,1996 द्वारा स्वीकृत "अंतरिम सहायता" की धनराशि को भी परिलब्धियों में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(6) रू0 2500/प्रतिमाह की परिलब्धियों पर दिनांक 31 मार्च,2004 को ग्राह्य परिलब्धियों के अनुसार 30 दिन की परिलब्धियॉ तदर्थ बोनस के रूप में रू0 2467/– होगी (रू0 2500 X 30/30.4=2467.10)

(7) ऐसे कर्मचारी जिनके विरूद्ध वर्ष 2003–2004 में अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ हो गई हो,जिनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही पूरे होने के बाद वर्ष 2003–2004 में कोई दण्ड दिया गया हो,उन्हें तदर्थ बोनस देय नहीं होगा।

(8) इन आदेशों द्वारा स्वीकृत तदर्थ बोनस के आगणित धनराशि को निकटतम एक रूपये में पूर्णांकित किया जायेगा अर्थात 50 पैसे या उससे अधिक को एक रूपया मानकर और उससे कम को शामिल न करते हुए पूर्णांकित किया जायेगा।

4– कैजुअल/दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को जिन्होंने दिनांक 31 मार्च,2004 को तीन वर्ष अथवा उससे अधिक समय तक लगातार कार्य किया हो और प्रत्येक वर्ष कम से कम 240 दिन कार्यरत रहे हो,को भी यह सुविधा अनुमन्य होगी। ऐसे पूर्णकालिक कर्मचारियों को भी जिन्होंने दिनांक 31 मार्च,2004 तक एक वर्ष निरन्तर सेवा पूरी नहीं की है परन्तु उक्त तिथि तक कैजुअल/दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में (दोनों

अवधियों को सम्मिलित करते हुए) तीन वर्ष या उससे अधिक समय तक लगातार कार्य किया हो और प्रत्येक वर्ष 240 दिन कार्यरत रहे हो,यह सुविधा अनुमन्य होगी। ऐसे मामले में संबंधित कर्मचारी के लिए मासिक परिलब्धियां रू0 1200 प्रतिमाह मानी जायेगी और इस प्रकार तदर्थ बोनस की देय धनराशि रू0 1200 X 30/30 .4=1184 .21 अर्थात रू0 1184/– (पूर्णांकित) होगी। परन्तु ऐसे कर्मचारी जिनकी वास्तविक परिलब्धियॉ रू0 1200 प्रतिमाह से कम है उन्हें तदर्थ बोनस की धनराशि उनकी वास्तविक मासिक परिलब्धियों के आधार पर आंकलित की जायेगी।

5– अनुमन्य तदर्थ बोनस की सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान नकद में किया जायेगा।

6– बोनस के भुगतान से संबंधित शासनादेश संख्या–वे0आ0–1–120/दस–1(एम)/84,दिनांक 18 जनवरी,1984 के प्रस्तर–1(7),5 तथा 6 में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबंध इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत तदर्थ बोनस के विषय में भी यथावत लागू रहेंगे।

7– उक्त स्वीकृत तदर्थ बोनस को आय–व्ययक के उसी लेखाशीर्षक के नामे डाला जायेगा जिससे संबंधित कर्मचारियों के वेतन व्यय को वहन किया जाता है तथा उसे मानक मद "वेतन" के अंतर्गत पुरतांकित किया जायेगा।

भवदीय,

इन्दु कुमार पाण्डे
प्रमुख सचिव,वित्त।

संख्या–1409/XXVII(3)बोनस/2004,एवं तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उत्तरांचल,ओबराय भवन,माजरा,देहरादून।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,उत्तरांचल,देहरादून।
3. समस्य मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी,उत्तरांचल।
4. वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी ((वेतन अनुसंधान एकक),भारत सरकार,वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग), कमरा नं–261,नार्थ ब्लाक,नई दिल्ली–110001।
5. सचिव,राज्यपाल महोदय,उत्तरांचल,देहरादून।
6. सचिव,विधान सभा,उत्तरांचल,देहरादून।
7. निबन्धक,उच्च न्यायालय,नैनीताल।
8. रिजनल प्राविडेन्ट फण्ड कमीश्नर,कानपुर/देहरादून।
9. संयुक्त निदेशक,कोषागार सिविल कार्यालय,नवीन कोषागार भवन(प्रथम तल) कचहरी रोड, इलाहाबाद तथा अन्य वेतन पर्ची प्रकोष्ठ इरला चैक।
10. निदेशक,कोषागार एवं वित्त सेवाएं,उत्तरांचल,देहरादून।
11. स्थानीय आयुक्त,उत्तरांचल,नई दिल्ली।
12. पुनगर्ठन आयुक्त,उत्तरांचल,विकास भवन,सचिवालय परिसर लखनऊ,उ0प्र0।
13. वित्त अधिकारी,उत्तरांचल सचिवालय,देहरादून।
14. उपनिदेशक,राजकीय मुद्रणालय,रूड़की को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया इस शासनादेश की 200 प्रतियॉ मुद्रित कर वित्त विभाग को प्रेषित करना चाहें।
15. निजी सचिव,मा0 मुख्यमंत्री,उत्तरांचल।
16. निदेशक,एन0आई0सी0,देहरादून।
17. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(टी0एन0सिंह)
अपर सचिव।

प्रेषक,

संख्या– 02/XXVII(7)बोनस/2005

इन्दु कुमार पाण्डे
प्रमुख सचिव,वित्त,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,
समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तरांचल।

वित्त (सामान्य नियम–वेतन आयोग)अनुभाग–7

देहरादून,दिनांक: 22 अक्टूबर, 2005

विषय: तदर्थ बोनस:–राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं व स्थानीय निकायों के कर्मचारियों तथा कैजुअल/दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को वर्ष 2004–2005 के लिए 30 दिन के तदर्थ बोनस का भुगतान।

पठित निम्नलिखित :–

1– शासनादेश संख्या–1409/XXVII(3)बोनस/2004, दिनांक : 02 नवम्बर,, 2004।
2– भारत सरकार वित्त मंत्रालय,व्यय विभाग,कार्यालय ज्ञाप संख्या–14(6)/संस्था समन्वय–1//2005, दिनांक : 29 सितम्बर, 2005।

महोदय,

उत्पादकता से जुड़ी किसी भी बोनस योजना के अंतर्गत न आने वाले उपर्युक्त श्रेणी के कर्मचारियों के लिए बोनस की विस्तृत योजना के अभाव में उक्त शासनादेश दिनांक : 02 नवम्बर,, 2005 द्वारा राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं व स्थानीय निकायों के कर्मचारियों तथा कैजुअल तथा दैनिक भोगी कर्मचारियों की वर्ष 2003–2004 के लिए 30 दिन के तदर्थ बोनस भुगतान के आदेश जारी किये गये थे।

2– भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को उपर्युक्त कम संख्या–2 पर उल्लिखित कार्यालय ज्ञाप दिनांक: 29 सितम्बर, 2005 द्वारा वर्ष 2004–2005 के लिए 30 दिन की परिलब्धियों के बराबर तदर्थ बोनस की स्वीकृति के आदेश जारी किये गये हैं।

3– उपर्युक्त कम संख्या–1 पर उल्लिखित शासनादेश दिनांक : 02 नवम्बर,, 2004 के कम में राज्यपाल महोदय इस प्रदेश के समस्त पूर्णकालिक अराजपत्रित राज्य कर्मचारियों तथा राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं,स्थानीय निकायों और जिला पंचायतों के ऐसे कर्मचारियों, जिनके वेतनमान का अधिकतम रू0 10,500 तक है को वर्ष 2004–2005 के लिए तदर्थ बोनस के रूप में-30 दिन की परिलब्धियों की स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते हैं। इस प्रयोजन के लिए एक माह में औसत दिनों की संख्या 30.4 के आधार पर दिनांक: 31 मार्च, 2005 को ग्राह्य परिलब्धियों के अनुसार 30 दिन की परिलब्धियां आगणित की जायेंगी। तदर्थ बोनस का भुगतान निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा:–

(I) तदर्थ बोनस की उक्त सुविधा केवल उन अराजपत्रित कर्मचारियों,जिनके पुनरीक्षित वेतनमान का अधिकतम रू0 10,500/–तक है,को ही अनुमन्य होगा। वेतनमान रू0 6500–10500 तक के पद पर कार्यरत ऐसे अराजपत्रित कर्मचारियों को जिन्हें दिनांक : 01–01–1996 को उनके पूर्ववर्ती वैयक्तिक प्रोन्नति/अगला वेतनमान का सामान्य पुनरीक्षित वेतनमान वैयक्तिक रूप से अनुमन्य हो चुका है और उनकी प्रास्थिति (स्टेटस) में परिवर्तन नहीं हुआ है,को भी तदर्थ बोनस अनुमन्य होगा। ऐसे कर्मचारी जिन्होंने दिनांक : 01–01–1996 से लागू पुनरीक्षित वेतनमानों के बजाय पूर्ववर्ती वेतनमान में बने रहने के लिए विकल्प दिये हों, के संबंध में पद के वेतनमान का अधिकतम

रू0 3500/–तक माना जायेगा, परन्तु रू0 6500–10500 (पूर्ववर्ती रू0 2000–3500) या इससे कम वेतनमान के राजपत्रित अधिकारियों को तदर्थ बोनस अनुमन्य नहीं होगा।

(II) इन आदेशों के अन्तर्गत केवल वही अराजपत्रित कर्मचारी बोनस सुविधा हेतु पात्र होंगे, जो दिनांक : 31 मार्च, 2005 को राज्य सरकार की नियमित सेवा में थे और जिन्होंने वर्ष 2004–05 की अवधि के दौरान न्यूनतम छः माह की लगातार सेवा पूर्ण की हो। वर्ष के दौरान न्यूनतम छः महीने से पूरे एक वर्ष तक लगातार सेवा की अवधि के लिए पात्र कर्मचारियों को आनुपातिक अदायगी स्वीकार्य होगी, पात्रता अवधि की गणना सेवा के महीने (महीनों की निकटतम संख्या में पूर्णांकित) की संख्या में की जायेगी।

(III) तदर्थ बोनस की अधिकतम व्यय धनराशि रू0 2500/– प्रतिमाह की परिलब्धियॉ पाने वाले कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य राशि तक सीमित रहेगी अर्थात जिन कर्मचारियों की परिलब्धियॉ रू0 2500/– से अधिक थी उनके लिए तदर्थ बोनस का आगणन इस प्रकार किया जायेगा मानो उनकी परिलब्धियॉ रू0 2500/– प्रतिमाह है।

(IV) उपर्युक्त प्रयोजन हेतु परिलब्धियों का तात्पर्य मूल वेतन,वैयक्तिक वेतन,विशेष वेतन जैसा कि क्रमशः मूल नियम 9(21)(1),9(23) तथा 9(25) में परिभाषित है, प्रतिनियुक्ति भत्ता और महंगाई भत्ते से होगा। परन्तु ऐसे कर्मचारी जिन्होंने दिनांक : 01–01–1996 से लागू पुनरीक्षित वेतनमानों के बजाय पूर्ववर्ती वेतनमान में ही बने रहने के लिए विकल्प दिया हो,अथवा जिन कर्मचारियों का दिनांक : 01–01–1996 से वेतनमान पुनरीक्षण नहीं हुआ है,के लिए शासनादेश संख्या–वे–आ–1–2043/दस–93–39(एम)/93,दिनांक : 14 अक्टूबर,1993 तक तथा शासनादेश संख्या– वे – आ –1 – 624 /दरा–39(एम)/93 टी0सी0,दिनांक 16 अगस्त,1995 के अनुसार अंतरिम सहायता क्रमशः रू0 100/–प्रतिमाह की प्रथम किश्त तथा मूल वेतन का 10 प्रतिशत परन्तु कम से कम रू0 100/–प्रतिमाह की द्वितीय किश्त की धनराशि भी परिलब्धियों में जोड़ी जायेगी।

(V) मकान किराया भत्ता,नगर प्रतिकर भत्ता,पर्वतीय विकास भत्ता,परियोजना भत्ता,विशेष भत्ता,शिक्षा भत्ता आदि को परिलब्धियों में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। शासनादेश संख्या–वे–आ–1–774/दस–39(एम)/93 टी0सी0,दिनांक: 27 सितम्बर,1996 द्वारा स्वीकृत "अंतरिम सहायता" की धनराशि को भी परिलब्धियों में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(VI) रू0 2500/प्रतिमाह की परिलब्धियों पर दिनांक : 31 मार्च,2005 को ग्राह्य परिलब्धियों के अनुसार 30 दिन की परिलब्धियॉ तदर्थ बोनस के रूप में रू0 2467/– होगी (रू0 2500 X 30/30.4=2467.10)

(VII) ऐसे कर्मचारी जिनके विरूद्ध वर्ष 2004–2005 में अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ हो गई हो,जिनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही पूरे होने के बाद वर्ष 2004–2005 में कोई दण्ड दिया गया हो,उन्हें तदर्थ बोनस देय नहीं होगा।

(VIII) इन आदेशों द्वारा स्वीकृत तदर्थ बोनस के आगणित धनराशि को निकटतम एक रूपये में पूर्णांकित किया जायेगा अर्थात 50 पैसे या उससे अधिक को एक रूपया मानकर और उससे कम को शामिल न करते हुए पूर्णांकित किया जायेगा।

4– कैजुअल/दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को जिन्होंने दिनांक : 31 मार्च,2005 को तीन वर्ष अथवा उससे अधिक समय तक लगातार कार्य किया हो और प्रत्येक वर्ष कम से कम 240 दिन कार्यरत रहे हों, को भी यह सुविधा अनुमन्य होगी। ऐसे पूर्णकालिक कर्मचारियों को भी जिन्होंने दिनांक : 31 मार्च,2005 तक एक वर्ष निरन्तर सेवा पूरी नहीं की है परन्तु उक्त तिथि तक कैजुअल/दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में (दोनों अवधियों को सम्मिलित करते हुए) तीन वर्ष या उससे अधिक समय

तक लगातार कार्य किया हो और प्रत्येक वर्ष 240 दिन कार्यरत रहे हों, यह सुविधा अनुमन्य होगीं। ऐसे मामले में संबंधित कर्मचारी के लिए मासिक परिलब्धियां रू0 1200 प्रतिमाह मानी जायेगी और इस प्रकार तदर्थ बोनस की देय धनराशि रू0 1200 X 30/30.4=1184.21 अर्थात रू0 1184/– (पूर्णांकित) होगी। परन्तु ऐसे कर्मचारी जिनकी वास्तविक परिलब्धियॉ रू0 1200 प्रतिमाह से कम हैं उन्हें तदर्थ बोनस की धनराशि उनकी वास्तविक मासिक परिलब्धियों के आधार पर आंकलित की जायेगी।

5– अनुमन्य तदर्थ बोनस की सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान नकद में किया जायेगा।

6– आहरण वितरण अधिकारी देयक के साथ कर्मचारी के बैंक का नाम, बैंक खाते का विवरण संलग्न करेंगे, ताकि धनराशि कर्मचारी के खाते में डाली जा सके, जिससे कैश ट्रांजेक्शन कर की प्रक्रिया का प्रभाव न पड़े ।

7– बोनस के भुगतान से संबंधित शासनादेश संख्या–वे0आ0–1–120/दस–1(एम)/84,दिनांक 18 जनवरी,1984 के प्रस्तर–1(7),5 तथा 6 में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबंध इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत तदर्थ बोनस के विषय में भी यथावत लागू रहेंगे।

8– उक्त स्वीकृत तदर्थ बोनस को आय–व्ययक के उसी लेखाशीर्षक के नामे डाला जायेगा जिससे संबंधित कर्मचारियों के वेतन व्यय को वहन किया जाता है तथा उसे मानक मद "वेतन" के अंतर्गत पुस्तांकित किया जायेगा।

भवदीय,

(इन्दु कुमार पाण्डे)
प्रमुख सचिव,

संख्या– 02/XXVII(7)बोनस/2005 एवं तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उत्तरांचल,ओबराय भवन,माजरा,देहरादून।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,उत्तरांचल,देहरादून।
3. समस्य मुख्य/वरिश्ठ कोषाधिकारी,उत्तरांचल।
4. वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (वेतन अनुसंधान एकक),भारत सरकार,वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग), कमरा नं–261,नार्थ ब्लाक,नई दिल्ली–110001।
5. सचिव,राज्यपाल महोदय,उत्तरांचल,देहरादून।
6. सचिव,विधान सभा,उत्तरांचल,देहरादून।
7. निबन्धक,उच्च न्यायालय,नैनीताल।
8. रिजनल प्राविडेन्ट फण्ड कमीश्नर,कानपुर/देहरादून।
9. सयुक्त निदेशक,कोषागार सिविल कार्यालय,नवीन कोषागार भवन(प्रथम तल) कचहरी रोड, इलाहाबाद तथा अन्य वेतन पर्ची प्रकोष्ठ इरला चैक।
10. निदेशक,कोषागार एवं वित्त सेवाएं,उत्तरांचल,देहरादून।
11. स्थानीय आयुक्त,उत्तरांचल,नई दिल्ली।
12. पुनगर्ठन आयुक्त,उत्तरांचल,विकास भवन,सचिवालय परिसर लखनऊ,उ0प्र0।
13. वित्त अधिकारी,उत्तरांचल सचिवालय,देहरादून।
14. उपनिदेशक,राजकीय मुद्रणालय,रूड़की को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया इस शासनादेश की 200 प्रतियॉ मुद्रित कर वित्त विभाग को प्रेषित करना चाहें।
15. निजी सचिव,मा0 मुख्यमंत्री,उत्तरांचल।
16. निदेशक,एन0आई0सी0,देहरादून।
17. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(टी. एन. सिंह)
अपर सचिव ।

संख्या– 23 /XXVII(7)बोनस/2005

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव,वित्त,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तरांचल।

वित्त (सामान्य नियम–वेतन आयोग)अनुभाग–7

देहरादून,दिनांक: 28 अक्टूबर, 2005

विषयः राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं व स्थानीय निकायों के कर्मचारियों तथा कैजुअल/दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को वर्ष 2004–2005 के लिए तदर्थ बोनस विषयक शासनादेश संख्या : 02/XXVII(7)बोनस/2005, दिनांक : 22 अक्टूबर, 2005 के प्रस्तर – 1 में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या : 02/XXVII(7)बोनस/2005, दिनांक : 22 अक्टूबर, 2005 के प्रथम प्रस्तर की द्वितीय पंक्ति में इंगित "शासनादेश दिनांक : 02 नवम्बर, 2005" त्रुटिपूर्ण है, अतः इसे उक्त के स्थान पर "शासनादेश दिनांक : 02 नवम्बर, 2004" पढ़े जाने की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

उपरिउल्लिखित शासनादेश केवल उक्त सीमा तक ही संशोधित समझा जाय तथा इसके शेष सभी प्राविधान यथावत् रहेंगे।

भवदीय,

राधा रतूड़ी
सचिव, वित्त।

संख्या–23 /XXVII(7)बोनस/2005 एवं तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उत्तरांचल,ओबराय भवन,माजरा,देहरादून।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,उत्तरांचल,देहरादून।
3. समस्य मुख्य/वरिश्ठ कोषाधिकारी,उत्तरांचल।
4. वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी ((वेतन अनुसंधान एकक),भारत सरकार,वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग), कमरा नं–261,नार्थ ब्लाक,नई दिल्ली–110001।
5. सचिव,राज्यपाल महोदय,उत्तरांचल,देहरादून।
6. सचिव,विधान सभा,उत्तरांचल,देहरादून।
7. निबन्धक,उच्च न्यायालय,नैनीताल।
8. रिजनल प्राविडेन्ट फण्ड कमीश्नर,कानपुर/देहरादून।
9. संयुक्त निदेशक,कोषागार सिविल कार्यालय,नवीन कोषागार भवन(प्रथम तल) कचहरी रोड, इलाहाबाद तथा अन्य वेतन पर्ची प्रकोष्ठ इरला चैक।
10. निदेशक,कोषागार एवं वित्त सेवाएं,उत्तरांचल,देहरादून।
11. स्थानीय आयुक्त,उत्तरांचल,नई दिल्ली।
12. पुनगर्ठन आयुक्त,उत्तरांचल,विकास भवन,सचिवालय परिसर लखनऊ,उ0प्र0।
13. वित्त अधिकारी,उत्तरांचल सचिवालय,देहरादून।
14. उपनिदेशक,राजकीय मुद्रणालय,रूड़की को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया इस शासनादेश की 200 प्रतियाँ मुद्रित कर वित्त विभाग को प्रेषित करना चाहें।
15. निजी सचिव,मा0 मुख्यमंत्री,उत्तरांचल।
16. निदेशक,एन0आई0सी0,देहरादून।
17. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(टी. एन. सिंह)
अपर सचिव।

vit 3

संख्या– 99 / XXVII(7)बोनस / 2006

प्रेषक,

इन्दु कुमार पाण्डे
प्रमुख सचिव,वित्त,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तरांचल।

वित्त (सामान्य नियम–वेतन आयोग)अनुभाग–7 देहरादून,दिनांक: 10 जनवरी, 2006

विषयः राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं व स्थानीय निकायों के कर्मचारियों तथा कैजुअल / दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को वर्ष 2004–2005 के लिए तदर्थ बोनस विषयक शासनादेश संख्या : 02 / XXVII(7)बोनस / 2005, दिनांक : 22 अक्टूबर, 2005 का स्पष्टीकरण ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या : 02 / XXVII(7)बोनस / 2005, दिनांक : 22 अक्टूबर, 2005 के प्रस्तर 3(1) के सम्बन्ध में विभिन्न कर्मचारी संघों के द्वारा जिज्ञासायें की जा रही है कि क्या वर्ष 2004–05 के लिए तदर्थ बोनस की सुविधा रू. 6500–10500 के वेतनमान के उन पदधारकों को भी अनुमन्य होगा, जो उक्त वेतनमान से अधिक वेतनमान व्यैक्तिक प्रोन्नति / अगला वेतनमान समयमान वेतनमान के रूप में प्राप्त कर रहे है और जिनके पद की प्रा:स्थिति में कोई परिवर्तन नही हुआ है। भारत सरकार / उत्तर प्रदेश से स्थिति स्पष्ट करायी जा रही है, फिलहाल मात्र वित्तीय वर्ष 2004–05 हेतु ऐसे अराजपत्रित कर्मचारियों का जिनके मूल पद का वेतनमान रू0 6500–10500 की सीमा में हो तथा पद की प्रा:स्थिति में कोई परिवर्तन हुए बिना अराजपत्रित स्वरूप में व्यक्तिगत रू0 6500–10500 या उससे अधिक समयमान वेतनमान देय हो, को तदर्थ रूप से भुगतान करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

भवदीय,

इन्दु कुमार पाण्डे
प्रमुख सचिव,,

संख्या– 99 / XXVII(7)बोनस / 2006 एवं तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उत्तरांचल,ओबराय भवन,माजरा,देहरादून।
2. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव,उत्तरांचल,देहरादून।
3. समस्य मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी,उत्तरांचल।
4. वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (वेतन अनुसंधान एकक),भारत सरकार,वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग),कमरा नं–261,नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली–110001।
5. सचिव,राज्यपाल महोदय,उत्तरांचल,देहरादून।
6. सचिव,विधान सभा,उत्तरांचल,देहरादून।
7. निबन्धक,उच्च न्यायालय,नैनीताल।
8. रिजनल प्राविडेन्ट फण्ड कमीश्नर,कानपुर / देहरादून।
9. संयुक्त निदेशक,कोषागार सिविल कार्यालय,नवीन कोषागार भवन(प्रथम तल) कचहरी रोड, इलाहाबाद तथा अन्य वेतन पर्ची प्रकोष्ठ इरला चैक।
10. निदेशक,कोषागार एवं वित्त सेवाएं,उत्तरांचल,देहरादून।
11. स्थानीय आयुक्त,उत्तरांचल,नई दिल्ली।
12. पुनगर्ठन आयुक्त,उत्तरांचल,विकास भवन,सचिवालय परिसर लखनऊ,उ0प्र0।
13. वित्त अधिकारी,उत्तरांचल सचिवालय,देहरादून।
14. निजी सचिव,मा0 मुख्यमंत्री,उत्तरांचल।
16. निदेशक,एन0आई0सी0,देहरादून।
17. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(टी. एन. सिंह)
अपर सचिव ।

vit 3 7

उत्तरांचल शासन
वित्त (सा0नि0-वे0आ0)अनु-7
संख्या: 37 / XXVII(7) / 2006
देहरादून:दिनांक 6 मई ,2006

कार्यालय ज्ञाप

दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की नियुक्ति पर प्रतिबन्ध के विषय में शासनादेश संख्या:20 / 1 / 91-2 / 91 दिनांक 17 जुलाई,1991 के क्रम में दैनिक वेतन वेतन भोगी कर्मचारियों की मजदूरी की दर अंतिम बार कार्यालय ज्ञाप सं01110 / वि0अनु-3 / 03 दिनांक 22 दिसम्बर,2003 के द्वारा निर्धारित की गई थी,जिसके क्रम में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय, उत्तरांचल राज्य के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की वर्तमान पारिश्रमिक की दरों को वर्तमान मंहगाई एवं श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की सीमाओं के अनुरूप समूह 'घ' के कर्मचारियों के लिए रू0 57.00 प्रति दिन से बढ़कार रू0 71.00 प्रतिदिन तथा समूह 'ग' के कर्मचारियों के लिए रू0 64.00 प्रतिदिन से बढ़ाकर रू0 81.00 प्रतिदिन किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

2.उक्त बढ़ी हुयी दरें दिनांक: 1 मई,2006 से प्रभावी होंगी ।

3.उत्तरांचल शासन के शासनादेश संख्या:1803 / कार्मिक -2 / 2002 दिनांक:6 फरवरी,2003 द्वारा बिना मंत्रिमण्डल के अनुमोदन के तदर्थ,दैनिक वेतन तथा अनुबन्ध पर किसी को रखना प्रतिबन्धित है, अत: समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अधीन कार्यवाही की जाय।

(राधा रतूडी)
सचिव वित्त।

सेवामें,

समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तरांचल शासन ।
समस्त विभागाध्यक्ष ।

संख्या/xxvii(7)/2006 तद्दिनांक
प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1. महालेखाकार,ओबेराय भवन सहारनपुर रोड,माजरा,देहरादून।
2. सचिवालय के समस्त अनुभाग,उत्तरांचल शासन ।
3. सचिव,विधान सभा,उत्तरांचल,देहरादून ।
4. सचिव,महामहिम श्री राज्यपाल,उत्तरांचल,देहरादून ।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी,समस्त जनपद ।
6. निदेशक,एन0आई0सी0,उत्तरांचल,देहरादून ।
7. गार्ड फाईल ।

आज्ञा से

(टी0एन0 सिंह)
अपर सचिव

सख्याः 229 / XXVII(7)/ बोनस / 2006

प्रेषकः

इंदु कुमार पान्डे,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एंव प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तरांचल ।

वित्त (वे0 आ0–सा0नि0) अनु0–07 देहरादून दिनांक 16 अक्टूबर 2006

विषयः **वर्ष 2005–2006 के लिये राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं, स्थानीय निकायों, को उत्पादकता असंबद्व तदर्थ बोनस ।**

महोदय,

भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप संख्याः 14(1)ई.संस्था–III(ख) / 2006 वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग दिनांक 25 सितम्बर 2006 के क्रम में राज्य के समूह 'ग' तथा 'घ' और 01.01.1996 से अराजपत्रित कर्मचारी जिनके पुनर्रीक्षित वेतनमान का अधिकतम रू0 10,500/– (अराजपत्रित पद धारक वेतनमान रू0 6500–10500) है, जो उत्पादकता से संबद्व किसी भी बोनस स्कीम के अर्न्तगत नहीं आते ऐसे राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एंव प्रावधिक शिक्षण संस्थाओं, स्थानीय निकायों तथा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को वर्ष 2005–2006 के लिये 30 दिन की परिलब्धियों के बराबर उत्पादकता असंबद्व तदर्थ बोनस नकद में भुगतान करने हेतु श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

2– यह लाभ निम्नलिखित शर्तो के अधीन स्वीकार्य होगा :–

(i) केवल वे ही पूर्णकालिक कर्मचारी इन आदेशों के अर्न्तगत अदायगी के पात्र होंगें जो 31.03.2006 को सेवा में थे और जिन्होंने वर्ष 2005–2006 के दौरान कम से कम 06 महीने की लगातार सेवा पूरी की हो। वर्ष के दौरान 6 महीने से पूरे एक वर्ष तक लगातार सेवा की अवधि के लिये पात्र कर्मचारियों को अनुपातिक अदायगी स्वीकार्य होगी, पात्रता की अवधि की गणना सेवा के महीने पूर्णांक की संख्या में की जायेगी ।

(ii) तदर्थ बोनस का आगणन औसत वार्षिक परिलब्धियों या निर्धारित अधिकतम सीमा रूपये 2500/– (दो हजार पांच सौ) जो भी कमतर हो, पर आधारित होगी । एक दिन के लिये यह तदर्थ बोनस, एक वर्ष की औसत परिलब्धियों को 30.4 (एक महीने

के औसत दिनों की संख्या) से भाग दिया जाएगा, फिर इसे बोनस दिये जाने वाले दिनों की संख्या से गुणा कर दिया जाएगा । उदाहरणार्थ अधिकतम निर्धारित सीमा रू0 2500/– रूपये मानते हुये (जहां वास्तविक औसत परिलब्धियां 2500/– से ज्यादा है) 30 दिनों के लिये तदर्थ बोनस 2500X30/30.4=2467.10 रूपये (2467/= रूपये में पूर्णांकित) होगा ।

(III) वे दैनिक वेतन भोगी, जिन्होंने 6 दिवसीय कार्य दिवस वाले कार्यालयों में पिछले तीन वर्ष या इससे अधिक वर्षों में प्रतिवर्ष कम से कम 240 दिनों तक कार्य किया है, वे इस तदर्थ बोनस के हकदार होंगें । उन्हें देय तदर्थ बोनस 1200X30/30.4 रूपये अर्थात 1184.21 रूपये (1184/= रूपये पूर्णांकित) होगा । ऐसे मामलों में जहां वास्तविक परिलब्धियां 1200/– रूपये प्रतिमाह से कम हैं, इस राशि की गणना वास्तविक मासिक परिलब्धियों पर की जाएगी ।

(IV) इन आदेशों के अन्तर्गत सभी अदायगियां निकटतम रूपयें में पूर्णांकित की जाएगी ।

(V) इस आदेश के प्रस्तर–1 में वर्णित वर्ग 'ग' तथा 'घ' और अन्य अराजपत्रित कर्मचारियों का वर्गीकरण उनके वर्तमान पद एंव श्रेणी पर आधारित होगा न कि अनुमन्य समयमान वेतनमान के आधार पर ।

(VI) ऐसे कर्मचारी जिनके विरूद्व वर्ष 2005–2006 में अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ हो गई हो या इस अवधि में कोई दण्डात्मक कार्यवाही की गयी हो बोनस देय नहीं होगा।

3– इस पर होने वाला व्यय ऐसे कर्मचारियों के वेतन/मजदूरी या अन्य सुसंगत मानक मद के नामे डाला जायेगा जिससे प्रतिमाह वेतन या देयता का भुगतान किया गया हो। तदर्थ बोनस का भुगतान सुसंगत मानक मद में आवंटित/उपलब्ध आय–व्ययक (बजट) की सीमा में किया जाएगा तथा तद्नुसार निहित लेखा शीर्षक में पुस्ताकंन किया जाएगा ।

भवदीय

(इन्दु कुमार पान्डे)
प्रमुख सचिव

संख्याः 229 / XXVII(7)/ बोनस / 2006 एंव तद्दिनांक

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (लेखा एंव हकदारी) उत्तरांचल ओबेराय भवन, माजरा देहरादून ।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल देहरादून ।

3. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तरांचल ।
4. वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी, (वेतन अनुसंधान एकक) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (व्यय विभाग), कमरा नं0–261, नार्थ ब्लाक, नयी दिल्ली।
5. सचिव, श्री राज्यपाल महोदय, उत्तरांचल।
6. सचिव, विधान सभा, उत्तरांचल ।
7. निबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, उत्तरांचल, नैनीताल ।
8. रिजनल प्राविडेन्ट फण्ड कमिश्नर, कानपुर/देहरादून ।
9. संयुक्त निदेशक, कोषागार, शिविर कार्यालय, नवीन कोषागार भवन, (प्रथम तल) कचहरी रोड, इलाहाबाद, उ0प्र0 तथा अन्य वेतन पर्ची प्रकोष्ठ इरला चैक।
10. निदेशक, कोषागार एंव वित्त सेवायें, उत्तरांचल, देहरादून ।
11. स्थानीय आयुक्त, उत्तरांचल, नयी दिल्ली ।
12. पुर्नगठन आयुक्त, उत्तरांचल विकास भवन, सचिवालय परिसर, लखनऊ, उ0प्र0 ।
13. वित्त अधिकारी, उत्तरांचल सचिवालय, देहरादून ।
14. उपनिदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया इस शासनादेश की 200 प्रतियां मुद्रित कर वित्त विभाग को प्रेषित करने का कष्ट करें ।
15. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तरांचल।
16. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तरांचल देहरादून ।
17. गार्ड फाईल ।

आज्ञा से

(टी0 एन0 सिंह)
अपर सचिव ।

उत्तरांचल शासन
वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7
संख्या:268 / xxvii(7) / 2006
देहरादून, दिनांक:24 नवम्बर,2006

कार्यालय ज्ञाप

राज्य में तैनात अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों तथा उत्तरांचल राज्य की सिविल सेवा के अधिकारियों एवं अनुमन्य की गयी विषेश भत्ते की दरों के सन्दर्भ में उप सचिव / संयुक्त सचिव / अपर सचिव तथा समकक्षीय पदों पर बढ़ी हुई दर से विशेष भत्ता स्वीकृत किए जाने के संबंध में कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या–4339 / तीस–1–2004–12(39) / 2001 दिनांक 20 दिसम्बर,2004 के साथ पठित शासनादेश संख्या 5601 / तीस– 1– 2006 – 25(31) / 2006 दिनांक10 फरवरी,2006 द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है ।

2.इस परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है कि उत्तरांचल राज्य सिविल सेवा के अधिकारियों को उपलब्ध करायी गयी उल्लिखित विशेष भत्ते की सुविधा उत्तरांचल राज्य सचिवालय सेवा से भिन्न अन्य राज्य सेवाओं के अधिकारियों को भी समान आधार पर उपलब्ध करा दी जाय। अतः श्री राज्यपाल महोदय अनु सचिव / उप सचिव / संयुक्त सचिव / अपर सचिव तथा समकक्षीय पदों पर तैनात होने वाले अन्य राज्य सेवाओं के अधिकारियों को दिनांक 10 फरवरी,2006 से क्रमशः रू0 600 / –,800 / –,900 / – व 1000 / – का मासिक विशेष भत्ता स्वीकृत किए जाने की स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते हैं ।

3.शासनादेश सं0 939 / वि0अनु0–3 / 2003 दिनांक 30 जून,2003 में निहित प्राविधानानुसार अपर सचिव के पद पर अन्य राज्य सेवाओं के समकक्षीय अधिकारियों की तैनाती होने पर इस शर्त के साथ अनुमन्य होगी कि किसी भी दशा में मूल वेतन, विशेष वेतन, विशेष भत्ता, वैयक्तिक वेतन तथा प्रैक्टिस बन्दी भत्ता के योग की अधिकतम सीमा रू0 22,400 / – प्रतिमाह से अधिक नही होगी ।

4.उत्तरांचल राज्य सचिवालय में अनु सचिव / उप सचिव / संयुक्त सचिव / अपर सचिव तथा समकक्षीय पदों पर तैनात होने वाले अन्य राज्य सेवाओं के अधिकारियों को विशेष वेतन / भत्ता की अनुमन्यता विषयक पूर्व आदेश उपरोक्तानुसार संशोधित समझे जायेंगे ।

आलोक कुमार जैन
प्रमुख सचिव,वित्त ।

—2—

संख्या:268/xxvii(7)/2006 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1.महालेखाकार,उत्तरांचल ।

2.समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/अपर सचिव/संयुक्त सचिव,उत्तरांचल शासन

3.समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयध्यक्ष,उत्तरांचल ।

4.निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तरांचल ।

5.इरला चैक अनुभाग ।

6.वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून ।

7.निदेशक, एन0आई0सी0 उत्तरांचल राज्य एकक ।

9.गार्ड फाईल ।

आज्ञा से

(टी0एन0 सिंह)

अपर सचिव ।

संख्या–324/XXVII(7)/बोनस/2007

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनु0–07 देहरादून दिनाँक 15 अक्टूबर 2007

विषयः–वर्ष 2006–2007 के लिये राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं, स्थानीय निकायों, को उत्पादकता असंबद्ध तदर्थ बोनस।

महोदय,

भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप संख्या–7/24/2007/संस्था–III(क) वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग दिनांक 11 सितम्बर 2007 के क्रम में राज्य के समूह 'ग' तथा 'घ' और अराजपत्रित कर्मचारी जिनके दिनांक 01–01–1996 से पुनरीक्षित वेतनमान का अधिकतम रु0 10,500/–(अराजपत्रित पद धारक वेतनमान रु0 6500–10,500) है, जो उत्पादकता से संबद्ध किसी भी बोनस स्कीम के अन्तर्गत नहीं आते ऐसे राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, स्थानीय निकायों तथा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को वर्ष 2006–2007 के लिये 30 दिन की परिलब्धियों के बराबर उत्पादकता असंबद्ध तदर्थ बोनस नकद में भुगतान करने हेतु राज्यपाल महोदय, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– यह लाभ निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकार्य होगाः–

(i) केवल वे ही पूर्णकालिक कर्मचारी इन आदेशों के अन्तर्गत अदायगी के पात्र होंगे जो 31–03–2007 को सेवा में थे और जिन्होंने वर्ष 2006–2007 के दौरान कम से कम 06 महीने की लगातार सेवा पूरी की हो। वर्ष के दौरान 6 महीने से पूरे एक वर्ष तक लगातार सेवा की अवधि के लिये पात्र कर्मचारियों को अनुपातिक अदायगी स्वीकार्य होगी, पात्रता की अवधि की गणना सेवा के महीने पूर्णांक की संख्या में की जायेगी।

(ii) तदर्थ बोनस का आगणन औसत वार्षिक परिलब्धियों या निर्धारित अधिकतम सीमा रु0 2500/– (दो हजार पांच सौ) जो भी कमतर हो, पर

आधारित होगी। एक दिन के लिये यह तदर्थ बोनस, एक वर्ष की औसत परिलब्धियों को 30.4 (एक महीने के औसत दिनों की संख्या) से भाग दिया जाएगा। फिर इसे बोनस दिये जाने वाले दिनों की संख्या से गुणा कर दिया जाएगा। उदाहरणार्थ अधिकतम निर्धारित सीमा रुपये 2500/– मानते हुए (जहां वास्तविक औसत परिलब्धियां रुपये 2500/–से ज्यादा है) 30 दिनों के लिये तदर्थ बोनस 2500X30/30.4=2467.10 रुपये (2467/=रुपये में पूर्णांकित) होगा।

(III) वे दैनिक वेतन भोगी, जिन्होंने 6 दिवसीय कार्य दिवस वाले कार्यालयों में पिछले तीन वर्ष या इससे अधिक वर्षों में प्रतिवर्ष कम से कम 240 दिनों तक कार्य किया है, वे इस तदर्थ बोनस के हकदार होंगे। उन्हें देय तदर्थ बोनस 1200X30/30.4 रुपये अर्थात 1184.21 रुपये (1184/=रुपये पूर्णांकित) होगा। ऐसे मामलों में जहां वास्तविक परिलब्धियां 1200/–रुपये प्रतिमाह से कम हैं, इस राशि की गणना वास्तविक मासिक परिलब्धियों पर की जाएगी।

(IV) इन आदेशों के अन्तर्गत सभी अदायगियां निकटतम रुपये में पूर्णांकित की जाएगी।

(V) इस आदेश के प्रस्तर–1 में वर्णित वर्ग 'ग' तथा 'घ' और अन्य अराजपत्रित कर्मचारियों का वर्गीकरण उनके वर्तमान पद एवं श्रेणी पर आधारित होगा न कि अनुमन्य समयमान वेतनमान के आधार पर।

(VI) ऐसे कर्मचारी जिनके विरूद्ध वर्ष 2006–2007 में अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ हो गई हो या इस अवधि में कोई दण्डात्मक कार्यवाही की गयी हो बोनस देय नहीं होगा।

3– इस पर होने वाला व्यय ऐसे कर्मचारियों के वेतन/मजदूरी या अन्य सुसंगत मानक मद के नामे डाला जायेगा जिससे प्रतिमाह वेतन या देयता का भुगतान किया गया हो। तदर्थ बोनस का भुगतान सुसंगत मानक मद में आवंटित/उपलब्ध आय–व्ययक (बजट) की सीमा में किया जाएगा तथा तदनुसार निहित लेखा शीर्षक में पुस्तांकन किया जाएगा।

भवदीय,

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव

संख्या–3240/XXVII(7)/बोनस/2007 एवं तद्दिनांक

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–महालेखाकार (लेखा एवंहकदारी)उत्तराखण्ड ओबेराय भवन, माजरा देहरादून।
2–समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड देहरादून।
3–समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4–वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी, (वेतन अनुसंधान एकक) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (व्यय विभाग),कमरा नं0–261,नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली।
5–सचिव, श्री राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड।
6–सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
7–निबन्धक, मा0 उच्च न्यायाल, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
8–रिजनल प्राविडेन्ट फण्ड कमिश्नर, कानुपर/देहरादून।
9–संयुक्त निदेशक, कोषागार, शिविर कार्यालय, नवीन कोषागार भवन, (प्रथम तल) कचहरी रोड, इलाहाबाद, उ0प्र0 तथा अन्य वेतन पर्ची प्रकोष्ठ इरला चैक।
10–निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11–स्थानीय आयुक्त , उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
12–पुनर्गठन आयुक्त, उत्तराखण्ड विकास भवन,सचिवालय परिसर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
13–वित्त अधिकारी, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
14–उपनिदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया इस शासनादेश की 200 प्रतियां मुद्रित कर वित्त विभाग को प्रेषित करने का कष्ट करें।
15–निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्राखण्ड।
16–निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड देहरादून।
17–गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(टी0एन0सिंह)
अपर सचिव।

संख्याः 293 / XXVII(7)बोनस / 2008

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0) अनु–7 देहरादून,दिनांकः 22 सितम्बर,2008

विषयः तदर्थ बोनसः–राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधक शिक्षण संस्थाओं व स्थानीय निकायों के कर्मचारियों तथा कैजुअल / दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को वर्ष 2007–2008 के लिए 30 दिन के तदर्थ बोनस का भुगतान।

पठित निम्नलिखित :–

1– शासनादेश संख्या–324 / xxvii(7)बोनस / 2007,दिनांक 15 अक्टूबर,2007 ।

2– भारत सरकार वित्त मंत्रालय,व्यय विभाग,कार्यालय ज्ञाप संख्या–
7 / 24 / 2007 / संस्था–iii(क) / दिनांक 5 सितम्बर,2008 ।

महोदय,

उत्पादकता से जुड़ी किसी भी बोनस योजना के अंतर्गत न आने वाले उपर्युक्त श्रेणी के कर्मचारियों के लिए बोनस की विस्तृत योजना के अभाव में उक्त शासनादेश दिनांक 15 अक्टूबर,2007 द्वारा राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं व स्थानीय निकायों के कर्मचारियों तथा कैजुअल तथा दैनिकभोगी कर्मचारियों की वर्ष 2006–2007 के लिए 30 दिन के तदर्थ बोनस भुगतान के आदेश जारी किये गये थे।

2– भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को उपर्युक्त कम संख्या–2 पर उल्लिखित कार्यालय ज्ञाप दिनांक 5 सितम्बर,2008 द्वारा वर्ष 2007–2008 के लिए 30 दिन की परिलब्धियों के बराबर तदर्थ बोनस की स्वीकृति के आदेश जारी किये गये हैं।

3–उपर्युक्त कम संख्या–1 पर उल्लिखित शासनादेश दिनांक 15 अक्टूबर,2007 के कम में राज्यपाल महोदय इस प्रदेश के समस्त पूर्णकालिक अराजपत्रित राज्य कर्मचारियों तथा राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं,स्थानीय निकायों और जिला पंचायतों के ऐसे कर्मचारियों जिनके वेतनमान का अधिकतम रू0 10,500 तक है को वर्ष 2007–2008 के लिए तदर्थ बोनस के रूप में 30 दिन की परिलब्धियों की स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते है। इस प्रायोजन के लिए एक माह में औसत दिनों की संख्या 30.4 के आधार पर दिनांक 31 मार्च,2008 को ग्राह्य परिलब्धियों के अनुसार 30 दिन की परिलब्धियों आगणित की जायेगी। तदर्थ बोनस का भुगतान निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगाः–

(i) तदर्थ बोनस की उक्त सुविधा केवल उन अराजपत्रित कर्मचारियों,जिनके पुनरीक्षित वेतनमान का अधिकतम रू0 10,500/–तक है,को ही अनुमन्य होगा। वेतनमान रू0 6500–10500 तक के पद पर कार्यरत ऐसे अराजपत्रित कर्मचारियों को जिन्हें समयमान वेतनमान के रूप में उच्च वेतनमान अनुमन्य हो चुका है और उनकी प्रास्थिति (स्टेटस) में परिवर्तन नहीं हुआ है,को भी तदर्थ बोनस अनुमन्य होगा। ऐसे कर्मचारी जिन्होनें दिनांक 01–01–1996 से लागू पुनरीक्षित वेतनमानों के बजाय पूर्ववर्ती वेतनमान में बने रहने के लिए विकल्प दिये हों, के संबंध में पद के वेतनमान का अधिकतम रू0 3500/–तक माना जायेगा। परन्तु रू0 6500–10500 (पूर्ववर्ती रू0 2000–3500) या इससे कम वेतनमान के राजपत्रित अधिकारियों को तदर्थ बोनस अनुमन्य नहीं होगा।

(ii) इन आदेशों के अन्तर्गत केवल वही अराजपत्रित कर्मचारी बोनस सुविधा हेतु पात्र होंगे, जो दिनांक: 31 मार्च,2008 को राज्य सरकार की नियमित सेवा में थे और जिन्होंने वर्ष 2007–2008 की अवधि के दौरान न्यूनतम छः माह की लगातार सेवा पूर्ण की हो । वर्ष के दौरान न्यूनतम छः महीने से पूरे एक वर्ष तक लगातार सेवा की अवधि के लिए पात्र कर्मचारियों को आनुपातिक अदायगी स्वीकार्य होगी, पात्रता अवधि की गणना सेवा के महीने (महीनों की निकटतम संख्या में पूर्णांकित) की संख्या में की जायेगी ।

(iii) तदर्थ बोनस की अधिकतम व्यय धनराशि रू0 2500/– प्रतिमाह की परिलब्धियॉं पाने वाले कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य राशि तक सीमित रहेगी अर्थात जिन कर्मचारियों की परिलब्धियॉं रू0 2500/– से अधिक थी उनके लिए तदर्थ बोनस का आगणन इस प्रकार किया जायेगा मानो उनकी परिलब्धियॉं रू0 2500/– प्रतिमाह है।

(iv) उपर्युक्त प्रयोजन हेतु परिलब्धियों का तात्पर्य मूल वेतन,वैयक्तिक वेतन,विशेष वेतन जैसा कि क्रमशः मूल नियम 9(21)(1),9(23) तथा 9(25) में परिभाषित है,प्रतिनियुक्ति भत्ता और महंगाई भत्ते से होगा। परन्तु ऐसे कर्मचारी जिन्होंने दिनांक 01–01–1996 से लागू पुनरीक्षित वेतनमानों के बजाय पूर्ववर्ती वेतनमान में ही बने रहने के लिए विकल्प दिया हो,अथवा जिन कर्मचारियों का दिनांक 01–01–1996 से वेतनमान पुनरीक्षण नहीं हुआ है, के लिए शासनादेश संख्या–वे–आ–1–2043/दस–93–39(एम)/93,दिनांक 14 अक्टूबर,1993 तथा शासनादेश संख्या– वे – आ –1 – 624 /दरा–39(एम)/93 टी0सी0,दिनांक 16 अगस्त,1995 के अनुसार अंतरिम सहायता क्रमशः रू0 100/–प्रतिमाह की प्रथम किश्त तथा मूल वेतन का 10 प्रतिशत परन्तु कम से कम रू0 100/–प्रतिमाह की द्वितीय किश्त की धनराशि भी परिलब्धियों में जोड़ी जायेगी।

(v) मकान किराया भत्ता,नगर प्रतिकर भत्ता,पर्वतीय विकास भत्ता,परियोजना भत्ता,विशेष भत्ता,शिक्षा भत्ता आदि को परिलब्धियों में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। शासनादेश संख्या–वे–आ–1–774/दस–39(एम)/93 टी0सी0,दिनांक

27 सितम्बर,1996 द्वारा स्वीकृत "अंतरिम सहायता" की धनराशि को भी परिलब्धियों में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(vi) रू0 2500/प्रतिमाह की परिलब्धियों पर दिनांक 31 मार्च,2008 को ग्राह्य परिलब्धियों के अनुसार 30 दिन की परिलब्धियॉ तदर्थ बोनस के रूप में रू0 2467/– होगी (रू0 2500 X 30/30.4=2467.10)

(vii)ऐसे कर्मचारी जिनके विरूद्ध वर्ष 2007–2008 में अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ हो गई हो,जिनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही पूरी होने के बाद वर्ष 2007–2008 में कोई दण्ड दिया गया हो,उन्हें तदर्थ बोनस देय नहीं होगा।

(viii)इन आदेशों द्वारा स्वीकृत तदर्थ बोनस के आगणित धनराशि को निकटतम एक रूपये में पूर्णांकित किया जायेगा अर्थात 50 पैसे या उससे अधिक को एक रूपया मानकर और उससे कम को शामिल न करते हुए पूर्णांकित किया जायेगा।

4–कैजुअल/दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को जिन्होंने दिनांक 31 मार्च,2008 को तीन वर्ष अथवा उससे अधिक समय तक लगातार कार्य किया हो और प्रत्येक वर्ष कम से कम 240 दिन कार्यरत रहे हों, को भी यह सुविधा अनुमन्य होगी। ऐसे पूर्णकालिक कर्मचारियों को भी जिन्होंने दिनांक 31 मार्च,2008 तक एक वर्ष निरन्तर सेवा पूरी नहीं की है परन्तु उक्त तिथि तक कैजुअल/दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में (दोनों अवधियों को सम्मिलित करते हुए) तीन वर्ष या उससे अधिक समय तक लगातार कार्य किया हो और प्रत्येक वर्ष 240 दिन कार्यरत रहे हो,यह सुविधा अनुमन्य होगीं। ऐसे मामले में संबंधित कर्मचारी के लिए मासिक परिलब्धियां रू0 1200 प्रतिमाह मानी जायेगी और इस प्रकार तदर्थ बोनस की देय धनराशि रू0 1200 X 30/30.4=1184.21 अर्थात रू0 1184/– (पूर्णांकित) होगी। परन्तु ऐसे कर्मचारी जिनकी वास्तविक परिलब्धियॉ रू0 1200 प्रतिमाह से कम है उन्हें तदर्थ बोनस की धनराशि उनकी वास्तविक मासिक परिलब्धियों के आधार पर आंकलित की जायेगी।

5– अनुमन्य तदर्थ बोनस की सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान नकद में किया जायेगा।

6– आहरण वितरण अधिकारी देयक के साथ कर्मचारी के बैंक का नाम, बैंक खाते का विवरण संलग्न करेंगे, ताकि धनराशि कर्मचारी के खाते में डाली जा सके, जिससे कैश ट्रांजेक्शन की प्रक्रिया का प्रभाव न पड़े।

7–बोनस के भुगतान से संबंधित शासनादेश संख्या–वे0आ0–1– 120/ दस– 1(एम) / 84, दिनांक 18 जनवरी,1984 के प्रस्तर–1(7),5 तथा 6 में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबंध इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत तदर्थ बोनस के विषय में भी यथावत लागू रहेंगे।

8– उक्त स्वीकृत तदर्थ बोनस को आय–व्ययक के उसी लेखाशीर्षक के नामे डाला जायेगा जिससे संबंधित कर्मचारियों के वेतन व्यय को वहन किया जाता है तथा उसे मानक मद 'वेतन" के अंतर्गत पुस्तांकित किया जायेगा।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
सचिव वित्त।

संख्या: २५५(1)/XXVII(7)बोनस/2008,एवं तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड,ओबराय भवन,माजरा,देहरादून।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,उत्तराखण्ड,देहरादून।
3. समस्त मुख्य/वरिश्ठ कोषाधिकारी,उत्तराखण्ड।
4. वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी ((वेतन अनुसंधान एकक),भारत सरकार,वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग),कमरा नं-261,नार्थ ब्लाक,नई दिल्ली-110001।
5. सचिव,राज्यपाल महोदय,उत्तराखण्ड,देहरादून।
6. सचिव,विधान सभा,उत्तराखण्ड,देहरादून।
7. निबन्धक,उच्च न्यायालय,नैनीताल।
8. रिजनल प्राविडेन्ट फण्ड कमीश्नर,कानपुर/देहरादून।
9. संयुक्त निदेशक,कोषागार सिविल कार्यालय,नवीन कोषागार भवन(प्रथम तल) कचहरी रोड,इलाहाबाद तथा अन्य वेतन पर्ची प्रकोष्ठ इरला चैक।
10. निदेशक,कोषागार एवं वित्त सेवाएं,उत्तराखण्ड,देहरादून।
11. स्थानीय आयुक्त,उत्तराखण्ड,नई दिल्ली।
12. पुनगर्ठन आयुक्त,उत्तराखण्ड,विकास भवन,सचिवालय परिसर लखनऊ,उ0प्र0।
13. वित्त अधिकारी,उत्तराखण्ड सचिवालय,देहरादून।
14. उपनिदेशक,राजकीय मुद्रणालय,रूडकी को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया इस शासनादेश की 200 प्रतियॉ मुद्रित कर वित्त विभाग को प्रेषित करना चाहें।
15. निजी सचिव,मा0 मुख्यमंत्री,उत्तराखण्ड।
16. निदेशक,एन0आई0सी0,देहरादून।
17. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(टी0एन0सिंह)
अपर सचिव।

संख्याः– 243 /VI–1/2008–09 (यु0क0)/2002

प्रेषक,

एन0एस0 नेगी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन,

सेवा में,

निदेशक,
युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल,
देहरादून।

संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कल्याण अनुभागः **देहरादूनः दिनांकः– 30 सितम्बर, 2008**

विषयः– प्रान्तीय रक्षक दल/विकास दल के स्वंय सेवकों के पारिश्रमिक दरों में वृद्धि के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्याः–318/एक–1617/2008–09, दिनांकः– 25–06–2008 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय युवा कल्याण विभाग के अन्तर्गत प्रान्तीय रक्षक दल/विकास दल के प्रशिक्षित स्वंय सेवकों की पारिश्रमिक दरें निम्न तालिका के स्तम्भ–4 के अनुसार पुनरीक्षित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

क0सं0	ड्यूटी	वर्तमान दर	पुनरीक्षित दर
1	जनपदीय ड्यूटी के लिए	रु0 100/– प्रतिदिन, प्रति स्वंय सेवक	120/– प्रतिदिन, प्रति स्वंय सेवक
2	अर्न्तरजनपदीय ड्यूटी के लिए	रु0 100/– प्रतिदिन, प्रति स्वंय सेवक	120/– प्रतिदिन, प्रति स्वंय सेवक

2. 25 प्रतिशत जवानों की तैनाती जिलाधिकारी द्वारा की जायेगी। इससे अधिक की आवश्यकता होने पर 10 प्रतिशत की तैनाती मण्डलायुक्त की अनुमति से की जाएगी, तथा जनपदवार आवंटन भी इसी प्रकार किया जायेगा। यदि इससे अधिक की आवश्यकता पड़ती है, तो इसके लिए शासन का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा। यदि शान्ति व्यवस्था के लिये आवश्यकता पड़ती है तो इसके लिए गृह विभाग का पूर्वानुमोदन प्राप्त कर लिया जाय।

3. किसी विभाग द्वारा पी.आर.डी. स्वंय सेवकों की आवश्यकता बताई जाती है तो उनके पारिश्रमिक को भुगतान भी सम्बन्धित विभाग द्वारा किया जायेगा।

4. पुनरीक्षित दरें इस शासनादेश के निर्गमन कि तिथि से लागू होगी।

5. पी0आर0डी0 जवानों की तैनाती के सम्बन्ध में अन्य नियम एवं शर्तें यथावत रहेगी।

6. उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अशा0 पत्र संख्या– 208 (NP)/xxxvii–(3) दिनांकः 25 सितम्बर, 2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

एन0एस0 नेगी
अपर सचिव

पृष्ठांकन संख्याः–243/VI–1/2008–09(यु0क0)2002/तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, मा0 युवा कल्याण मंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
4. मण्डलायुक्त,कुमांउ एवं गढ़वाल मण्डल।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड।
7. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।
8. समस्त जिला निर्वाचन अधीक्षक, उत्तराखण्ड।
9. समस्त जिला युवा कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, देहरादून।
11. वित्त अनुभाग–3 उत्तराखण्ड शासन।
12. एन0आई0सी0, सचिवालय देहरादून।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

संजीव कुमार शर्मा
अनुसचिव

संख्याः /XXVII(7)बोनस/2008

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0) अनु–7 देहरादून,दिनांकः27 नवम्बर,2008

विषयः तदर्थ बोनसः–राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधक शिक्षण संस्थाओं व स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को वर्ष 2006–2007,वर्ष 2007–2008 के लिए 30 दिन के तदर्थ बोनस की अधिकतम धनराशि रूपये रू0 2500.00 के स्थान पर रू0 3500.00 संशोधित किये जाने के संबंध में ।

पठित निम्नालेखित :–

1– शासनादेश संख्या–324/xxvii(7)बोनस/2007,दिनांक 15 अक्टूबर,2007 ।
2– शासनादेश संख्या–299/xxvii(7)बोनस/2007,दिनांक 22सितम्बर,2008 ।
3– भारत सरकार वित्त मंत्रालय,व्यय विभाग,कार्यालय ज्ञाप संख्या–7/24/2007 /ई–iii(A)/दिनांक 10अक्टूबर,2008 ।

महोदय,

उत्पादकता से जुड़ी किसी भी बोनस योजना के अंतर्गत न आने वाले उपर्युक्त श्रेणी के कर्मचारियों के लिए बोनस की विस्तृत योजना के अभाव में उक्त शासनादेश दिनांक 15 अक्टूबर,2007 एवं शासनादेश दिनांक 5 सितम्बर,2008 द्वारा राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं व स्थानीय निकायों के कर्मचारियों तथा कैजुअल तथा दैनिकभोगी कर्मचारियों की क्रमंश वर्ष 2006–2007 एवं वर्ष 2007–2008 के लिए 30 दिन के तदर्थ बोनस भुगतान के आदेश जारी किये गये थे।

2– भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को उपर्युक्त क्रम संख्या–3 पर उल्लिखित कार्यालय ज्ञाप दिनांक10 अक्टूबर,2008 द्वारा वर्ष 2006–2007 एवं वर्ष 2007–2008 के लिए 30 दिन की परिलब्धियों के बराबर तदर्थ बोनस की अधिकतम व्यय धनराशि रूपये 2500.00 के स्थान पर रूपये 3500.00 स्वीकृत किया गया है।

3–उपर्युक्त क्रम संख्या–1 एवं 2 पर उल्लिखित शासनादेश दिनांक 15 अक्टूबर,2007 एवं 22 सितम्बर,2008 के क्रम में राज्यपाल महोदय इस प्रदेश के समस्त पूर्णकालिक अराजपत्रित राज्य कर्मचारियों तथा राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं,स्थानीय निकायों और जिला पंचायतों के ऐसे कर्मचारियों जिनके वेतनमान का अधिकतम रू0 10,500 तक है, को वर्ष 2006–2007 एवं वर्ष 2007–2008 के लिए तदर्थ बोनस के रूप में 30 दिन की परिलब्धियों की अधिकतम व्यय धनराशि रूपये 2500.00 के स्थान पर रूपये 3500.00 संशोधित करने की इस शर्त के साथ सहर्ष स्वीकृत प्रदान करते है। कि क्रमशः दिनांक 31 मार्च,2007 तथा दिनांक 31मार्च,2008 को ग्राह्य परिलब्धियॉ तदर्थ बोनस के रूप में रू0 3454 होगीं (रू0 3500X30/30.4 = रू0 3453.95 को

सुगमांकित कर रू0 3454/–)। उक्त शासनादेश के अनुसार किये जाने वाले समस्त भुगतान रू0 के निकटतम में सुग्मांकित कर किये जायेगें ।

4–कैजुअल/दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को पूर्व से अनुमन्य सुविधा यथावत रहेगी।

5–उक्तानुसार बोनस परिलब्धियों की संशोधित धनराशि के आधार पर बढ़ी हुई धनराशि को कार्मिको नकद न करके उनके सा0भ0नि0 खाते में जमा तथा जिन कार्मिकों को सा0भ0नि0 खाता आवंटित नहीं है उन्हें राजष्ट्रीय बचत पत्र के माध्यम से भुगतान किया जाएगा।

6–शासनादेश संख्या–324/xxvii(7)बोनस/2007,दिनांक 15 अक्टूबर,2007 एवं शासनादेश संख्या–299/xxvii(7)बोनस/2007,दिनांक 22सितम्बर,2008 को केवल इस सीमा तक ही संशोधित समझा जाय तथा इस के शेष सभी प्राविधान यथावत् लागू रहेगें।

भवदीया,

(राधा रतूड़ी)
सचिव,वित्त।

संख्या:422(1)/XXVII(7)बोनस/2008,एवं तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड,ओबराय भवन,माजरा,देहरादून।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,उत्तराखण्ड,देहरादून।
3. समस्य मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी,उत्तराखण्ड।
4. वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी ((वेतन अनुसंधान एकक),भारत सरकार,वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग),कमरा नं–261,नार्थ ब्लाक,नई दिल्ली–110001।
5. सचिव,राज्यपाल महोदय,उत्तराखण्ड,देहरादून।
6. सचिव,विधान सभा,उत्तराखण्ड,देहरादून।
7. निबन्धक,उच्च न्यायालय,नैनीताल।
8. रिजनल प्राविडेन्ट फण्ड कमीश्नर,कानपुर/देहरादून।
9. संयुक्त निदेशक,कोषागार सिविल कार्यालय,नवीन कोषागार भवन(प्रथम तल) कचहरी रोड,इलाहाबाद तथा अन्य वेतन पर्ची प्रकोष्ठ इरला चैक।
10. निदेशक,कोषागार एवं वित्त सेवाएं,उत्तराखण्ड,देहरादून।
11. स्थानीय आयुक्त,उत्तराखण्ड,नई दिल्ली।
12. पुनगर्ठन आयुक्त,उत्तरांचल,विकास भवन,सचिवालय परिसर लखनऊ,उ0प्र0।
13. वित्त अधिकारी,उत्तराखण्ड सचिवालय,देहरादून।
14. उपनिदेशक,राजकीय मुद्रणालय,रूड़की को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया इस शासनादेश की 200 प्रतियॉ मुद्रित कर वित्त विभाग को प्रेषित करना चाहें।
15. निजी सचिव,मा0 मुख्यमंत्री,उत्तराखण्ड।
16. निदेशक,एन0आई0सी0,देहरादून।
17. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(टी0एन0सिंह)
अपर सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7
संख्याः 43/xxvii(7)/2009
देहरादूनःदिनांकः 13 फरवरी,2009

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड राज्य सिविल सेवा के अधिकारियों को उपलब्ध करायी गयी विशेष भत्ते की सुविधा उत्तराखण्ड राज्य सचिवालय सेवा से भिन्न अन्य राज्य सेवाओं के अधिकारियों को भी समान आधार पर उपलब्ध कराते हुए अनु सचिव/उप सचिव/संयुक्त सचिव/अपर सचिव तथा समकक्षीय पदों पर तैनात होने वाले अन्य राज्य सेवा के अधिकारियों को क्रमशः रू0 600/–,800/–,900/व रू0 1000/–का मासिक विशेष भत्ता कार्यालय–ज्ञाप संख्या– 268/xxvii(7)/2006 दिनांक 24 नवम्बर,2006 द्वारा स्वीकृत किया गया है।

2 इस सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति (2008) के प्रथम प्रतिवेदन को स्वीकार कर लिये जाने के फलस्वरूप निर्गत शासनादेश संख्याः395/xxvii(7)/2008 दिनांक 17 अक्टूबर, 2008 के द्वारा प्रदेश के विभिन्न वर्गों के कार्मिकों के वेतनमान दिनांक 1–1–2006 से पुनरीक्षित किये गये हैं। वेतन समिति के द्वितीय प्रतिवेदन में सचिवालय विशेष भत्ते के सम्बन्ध में की गयी संस्तुतियां राज्य सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई है। अतः श्री राज्यपाल राज्य सिविल सेवा से भिन्न अन्य राज्य सेवाओं के सचिवालय में अनु सचिव/उप सचिव/संयुक्त सचिव/अपर सचिव एवं अन्य समकक्षीय पदों पर तैनात अधिकारियों का विशेष भत्ता उन्हें अनुमन्य ग्रेड वेतन के 20 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से अनुमन्य किये जाने की इस प्रतिबन्ध के के साथ सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं कि वेतन बैण्ड में वेतन,विशेष वेतन, विशेष भत्ता, वैयक्तिक वेतन तथा प्रैक्टिस बन्दी वेतन का योग किसी भी दशा में रू0 67000/–से अधिक नहीं होगा ।

3–उक्तानुसार दरों का पुनरीक्षण दिनांक 01 अप्रैल,2009 से लागू होगा।

4–उक्त के फलस्वरूवरूप इस संबंध में पूर्व निर्गत कार्यालय ज्ञाप दिनांक 24 नवम्बर,2006 इस कार्यालय ज्ञाप के प्रभावी होने की दिनांक से केवल उक्त सीमा तक ही संशोधित समझा जाय।

आज्ञा से
(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव,वित्त

संख्याः 49 (1)/xxvii(7)/2007 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1.समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,उत्तराखण्ड शासन ।
2.समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयध्यक्ष,उत्तराखण्ड ।
3..महालेखाकार,उत्तराखण्ड,देहरादून।
4.रजिस्ट्रार जनरल, माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड,नैनीताल ।
5.स्थानिक आयुक्त उत्तराखण्ड, नई दिल्ली ।
6.सचिव, विधान सभा उत्तराखण्ड ।
7.सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड ।
8.उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
9.समस्त कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,उत्तराखण्ड ।
10.निदेशक, उत्तराखण्ड प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल ।
11.उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय,रूड़की को 1000प्रतियां प्रकाशनार्थ ।
12..निदेशक, एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड राज्य एकक ।
13.गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(टी0एन0 सिंह)
अपर सचिव ।